घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 232- मंगलवार 23- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

लखनऊ अग्निकांड 15 की मौत

सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की...

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे,जहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

परिजनों से सीएम योगी बोले...किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना में जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार पाए जाएंगे,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी ने जताई संवेदना, मुआवजे की घोषणा की...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निकांड में मृतकों व घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये व घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

लखनऊ,22 जून 2026। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी,वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है,जिसमें 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक,आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया,वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटककर नीचे उतरे।

एसी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका...

अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंची थीं। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले हैं। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था।

एंबुलेंस कम पड़ीं,डिप्टी सीएम पाठक रो पड़े...

घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई थीं। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा- मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी हैं।

आग लगने पर ऑटोमैटिक लॉक नहीं खुला

हादसे में सुखमणि (23) की मौत हो हुई है। उनके दोस्त यश ने बताया- सुखमणि 3डी एनीमेशन के ऑफिस में चार साल से नौकरी कर रहे थे। ऑफिस में करीब 40 लोग काम करते हैं। ऑफिस का मुख्य गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग फैलने के बाद गेट ऑटोमैटिक लॉक था। उसे खोलने में देरी हुई। जिसकी वजह से हादसा और ज्यादा गंभीर हो गया।

वीरेंद्र शुक्ला की इमारत,नक्शा धीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास

बताया जा रहा है इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है। वे सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक हैं। इमारत का नक्शा धीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। मामले में प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक, इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इसलिए लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए...

मुंबई,22 जून 2026। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से जारी कयासबाजी का दौर सोमवार को थम गया। यहां कथित ऑपरेशन टाइगर के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 6 बागी लोकसभा सांसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पिछले कई दिनों से सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। सभी 6 सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे की मौजूदगी में पार्टी का हाथ थामा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा,'आज हमारे साथ 6 सांसद शामिल हुए हैं। संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह

निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर। तो हमारे साथ यहां 3 संजय हैं। हमारे यहां एक और संजय राठौड़ (विधायक) भी हैं। जब हमारे यहां संजय हैं, तो किसी और संजय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं।' एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि अब एक नहीं छह टाइगर यहां मौजूद हैं। शिंदे ने कहा कि हम कोई ऑपरेशन आधा अधूरा नहीं करते। ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सभी प्रक्रिया का पालन कर छह सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और अब 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह सफल हो चुका है। शिंदे ने कहा कि पार्टी के वर्धापन दिवस पर उन्होंने नए नेताओं के शामिल होने के संकेत दिए थे और अब छह सांसद उनकी शिवसेना के साथ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 'कट्टर शिवसैनिकों' का स्वागत किया गया है। उन्होंने 2022 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा,'चार साल पहले जब हमने उठाव किया था, तब 40 विधायक हमारे साथ थे। उस समय हमारा उद्देश्य शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के विचारों को बचाना था।

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद

दान गिनती से हटाए गए 40 कर्मचारी, विशेष जांच टीम जांच में नई टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी

अयोध्या,22 जून 2026। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और कथित धन हेराफेरी के विवाद में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। दान की गणना में लगे करीब 40 कर्मचारियों को उनके कार्य से हटा दिया गया है। उनकी जगह बैंक और ट्रस्ट की ओर से नई टीम को गणना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने छह दिनों की पड़ताल के बाद लखनऊ लौट गई है। टीम ने ट्रस्ट पदाधिकारियों, पुजारियों, बैंक अधिकारियों और कैश प्रबंधन कर्मचारियों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की। विशेष जांच टीम ने सभी लोगों को जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश...

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 20% की बड़ी बढ़ोतरी

कोलकाता,22 जून 2026। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए 'विकसित बंगाल' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को खास तौर पर राहत दी गई है।

डीए में 20% बढ़ोतरी, कर्मचारियों को बड़ी सौगात : बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा, जो अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके अलावा सिविक

और ग्रीन पुलिस के मानदेय में भी 2000 रुपये की वृद्धि की गई है।

बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को फायदा : सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'भरोसा स्कीम' शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा एक लाख सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया गया है, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कॉलेज की छात्राओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद और विधवा पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है।

बजट में कोलकाता के कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने,पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट विकसित करने तथा कूचबिहार एयरपोर्ट को मजबूत करने की घोषणा की गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को राजकीय अवकाश घोषित करने और उनकी 150वीं जयंती पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला लिया गया है। विधायकों को मिलने वाले निधि फंड को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।

ब्रिटेन के पीएम की विदाई, कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली,22 जून 2026। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। सत्ताधारी लेबर पार्टी के करीब सौ से अधिक सांसदों की नाराजगी के बाद किएर स्टार्मर के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी। ऐसी चर्चा पिछले कुछ दिनों से आम थी कि वह प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं। अब स्टार्मर ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। किएर स्टार्मर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। किएर स्टार्मर ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ लेबर पार्टी के नेता का पद भी छोड़ देंगे। स्टार्मर ने साथ ही यह भी कहा कि हम नए प्रधानमंत्री को पूरा सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। कीएस स्टार्मर के इस्तीफे का ऐलान करने के साथ ही अब यह तय हो गया है आने वाले संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी नए चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

दरोगा हत्याकांड का आरोपी का हुआ अंत...एक लाख का इनामी ललन सिंह एनकाउंटर में मारा गया

सहारनपुर/वाराणसी,22 जून 2026। पूर्वांचल और बिहार में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने कुख्यात अपराधी ललन सिंह उर्फ लल्लन का आखिरकार पुलिस ने अंत कर दिया। एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। ललन सिंह पर कई संगीन अपराध दर्ज थे और वह वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस के अनुसार, आधी रात को सरसावा-नकुड़ मार्ग पर संदिग्धों की तलाश के दौरान पुलिस टीम का सामना ललन सिंह और उसके साथी से हुआ। पुलिस ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी

कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दरोगा की हत्या कर लूटी थी सर्विस रिवॉल्वर- ललन सिंह का नाम पहली बार बड़े स्तर पर तब चर्चा में आया था, जब उसने 8 नवंबर 2022 को वाराणसी में एक पुलिस दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद वह दरोगा की सरकारी रिवॉल्वर भी लूटकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद से वह पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था।

बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला ललन सिंह अपने गिरोह के साथ कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा। उस पर दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत सात लोगों की हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे गंभीर आरोप थे।

नीट पुनर्परीक्षा के दौरान बिहार में सॉल्वर गिरोह का खुलासा,5 मेडिकल छात्र समेत 24 गिरफ्तार

पटना,22 जून 2026। राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी) 2026 की रविवार को हुई पुनर्परीक्षा में बिहार में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यहां के लखीसराय में अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने की साजिश रच रहे 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 मेडिकल छात्र शामिल हैं। पड़ताल के दौरान परीक्षा प्रक्रिया संभाल रही बायोमेट्रिक कंपनी पर भी शक की सुई घूमी है, जिसके 14 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। परीक्षा से पहले पुलिस को खबर मिली की हसनपुर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक मशीन बंद कर कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस जब जांच करने पहुंची तो पता चला कि पटना मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष का एमबीबीएस छात्र मयंक कश्यप बायोमेट्रिक कंपनी का स्टाफ बनकर अंदर घुसा था। उसने अन्य लोगों की जानकारी दी, जिसके बाद केआरके हायर सेकेंडरी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय लखीसराय में छापेमारी कर अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पकड़े गए 5 मेडिकल छात्रों में बीएचयू नर्सिंग की छात्रा पूनम कुमारी, सौरभ झा, अमन अग्रवाल, संजीत और उसका भाई शामिल है।

संपादकीय

पहले इंसान,फिर वाहन

देश की सर्वोच्च अदालत ने हाल में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो केवल एक कानूनी निर्णय नहीं,बल्कि विकास को लेकर हमारे सोच पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सड़कों पर पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह कहा है कि इंसान ने पहिए आने से बहुत पहले चलना सीख लिया था। यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं,बल्कि हमारी शहरी और ग्रामीण विकास नीतियों पर एक गहरी टिप्पणी भी है। यह फैसला एक दर्दनाक हादसे की सुनवाई के दौरान दिया,जिसमें एक पिता ने अपने पांच साल के बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया था। अदालत ने इस मामले को केवल मुआवजे तक सीमित नहीं रखा, कोर्ट ने पैदल चलने वालों के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से जोड़कर उसे मौलिक अधिकार का दर्जा भी दे दिया। कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों महत्वपूर्ण और दूरगामी है,इसके लिए कुछ बातों पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल,पिछले कुछ दशकों में देश का विकास लगभग पूरी तरह वाहनों के इर्दगिर्द केंद्रित रहा है। शहरों में फ्लाईओवर बने,चौड़ी सड़कें बनीं,एक्सप्रेसवे बने,लेकिन पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथों की जरूरत को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। विडंबना यह है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी पैदल चलकर ही अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करती है। गरीब,मजदूर बुजुर्ग,महिलाएं,बच्चे,दिव्यांग और छोटे कस्बों के लोग सबसे ज्यादा पैदल यात्रा करते हैं,लेकिन सड़कें मानो केवल वाहनों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अदालत का यह कहना पूरी तरह सही है कि शुरुआत में यह एक तरह का 'आभिजात्य प्रभाव' था। जब वाहन केवल अमीरों के पास थे, तब भी पैदल चलने वालों को महत्व नहीं मिला और जैसे-जैसे वाहन सस्ते हुए,पूरी सड़क पर वाहनों का कब्जा हो गया। आज स्थिति यह है कि कई शहरों में फुटपाथ हैं ही नहीं और जहां हैं,वहां दुकानों,ठेलों,पार्किंग और अतिक्रमणों ने उन्हें निगल लिया है।

इस निर्णय में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है। यह निर्णय नागरिकों के लिए पैदल चलने के अधिकार को स्थापित करता है। अब फुटपाथ कोई सरकारी दया का विषय नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार का प्रश्न है। इसके साथ-साथ अदालत ने नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों,नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय की है। अब वे यह कहकर नहीं बच सकते कि संसाधन नहीं हैं या यह उनकी प्राथमिकता नहीं है। अगर सड़क है तो फुटपाथ भी होना चाहिए। इस फैसले से नागरिकों को कानूनी अधिकार मिला है कि यदि फुटपाथ नहीं हैं, टूटे हुए हैं या उन पर कब्जा है तो वे अदालती दरवाजा खटखटा सकते हैं और हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं। अगर इस फैसले को धरातल पर लागू किया जाता है तो इसके दूरगामी लाभ होंगे। सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। आवाजाही सुगम होगी। प्रदूषण कम करने और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि कुछ सवाल भी हैं,जैसे कि सरकारें इस फैसले को कितनी गंभीरता से लेंगी? आज देश के अधिकांश छोटे शहरों और कस्बों में फुटपाथ नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां फुटपाथ बने भी हैं,वे दुकानों के आगे बढ़े चबूतरों, पार्किंग,सामान रखने के स्थानों और अस्थायी कब्जों में बदल चुके हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब नगर निकाय फुटपाथों से अतिक्रमण हटाएंगे? क्या नई सड़क परियोजनाओं में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी? क्या सड़क सुरक्षा के बजट में फुटपाथों को भी शामिल किया जाएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जो सुप्रीम फैसले के बाद भी कायम हैं और आम जन चाहेगा कि इनके सकारात्मक उत्तर मिलें। सचमुच, हमारा पूरा यातायात कानून वाहनों को केंद्र में रखकर बनाया गया है,जिसमें इंसान गौण हैं। अब यह सोच बदलने का समय आ गया है।

विभिन्न अदालतों ने समय-समय पर जनहित में फैसले किए हैं, पर उनका क्रियान्वयन कितना हुआ है, इसे देखे जाने की जरूरत है। फुटपाथों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब प्रत्येक शहर और कस्बे में फुटपाथों का सर्वे कराया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। नई सड़क परियोजनाओं में फुटपाथ अनिवार्य किए जाने चाहिए। स्कूलों,अस्पतालों और बाजारों के आसपास पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित पैदल मार्गों की योजना बनाई जाए। यह सब जरूरी है,क्योंकि किसी सभ्य समाज की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों,फ्लाईओवरों और एक्सप्रेसवे से नहीं,बल्कि इस बात से होती है कि वहां सबसे कमजोर और असुरक्षित व्यक्ति कितनी सुरक्षा और सम्मान के साथ चल सकता है। जब पैदल चलने वाला नागरिक सुरक्षित होगा, तभी हम अपने विकास को सचमुच मानवीय विकास कह सकेंगे।

महेश नवमी (वंशोत्पत्ति दिवस)

मोनिका डागा आनंद
,चेन्नई,
तमिलनाडु

तुम्ही हमारे माता-पिता और जीवन रक्षक हो,
तुम्ही हमारे बंधु सखा और पापों के भक्षक हो,
क्षमादान दिया नया जीवन दे नाथ औघड़दानी,
हमारी करूण प्रार्थनाएं मॉ-महादेव तुमने मानी ।
अपराध बोध पर हमनें की तेरी जो शरणागति,
ऋषि-मुनियों के भयंकर श्राप से पाई फिर मुक्ति,
महेश्वर तुमने हम अज्ञानियों को सहर्ष अपनाया,
छाप माहेश्वरी तुमसे तब वरदान स्वरुप में पाया ।
ज्येष्ठ शुक्ल तिथि नवमी को ये विशेष कृपा हुई,
माहेश्वरी जाति की उत्पत्ति शिव-शक्ति से ही हुई,
लोहार्गल माहेश्वरी वंशोत्पत्ति तीर्थ है कहलाया,
वाणिज्य कर्म को स्वीकार उद्देशय नवल पाया ।
सभी माहेश्वरी आनंद से उत्पत्ति पर्व मनाते,
महेश्वर-महेश्वरी के भजन-कीर्तन श्रद्धा से गाते,
पूर्वजों को धन्यवाद कर प्रभु का करते गुणगान,
श्रेष्ठ संस्कारी कर्मों से रखते कुल का मान-सम्मान ।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस आज विशेष...

श्यामा प्रसाद मुखर्जी : राष्ट्र के चरमोत्कर्ष की यज्ञवेदी पर प्राणोत्सर्ग

हेमेन्द्र क्षीरसागर
बालाघाट,मध्यप्रदेश

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महान देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र के चरमोत्कर्ष, एकता और अखण्डता की यज्ञवेदी पर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह एक साथ ही शिक्षाविद्,लेखक,सासंद,राज नीतिज्ञ और मानवतावादी कट्टर देशभक्त थे। इन्होंने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और शीध्र ही एक प्रख्यात शिक्षाविद् और प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी इस उपलब्धि को मान्यता उस समय प्राप्त हुई जब 1934 में कलकत्ता विश्विद्यालय के कुलपति नियुक्त होने वालों में वह सबसे कम आयु के थे। डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में से थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे उन नेताओं में से थे, जो खुद आगे आकर जोखिम झेलते हैं। उनके लिए भारत प्रथम था और भारत की अखण्डता और वैभव ही प्रमुख लक्ष्य। जान दे दी,पर कश्मीर जाने नहीं दिया। मंत्रीमंडल को ठोकर मार दी,लेकिन सिंद्धातों से समझौता नहीं किया। हॉं,मैं हिन्दू हूॅं इस देश का राष्ट्रत्व हिन्दू हैं। यह अटल सत्य हैं,पर इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दू किसी दूसरे मजहब या उपासना पद्धति के विरूद्ध हैं। ऐसा होता तो इतिहास ही कुछ और होता। कश्मीर हर हिन्दुस्तानी का हैं। हर दिल में कश्मीर के लिए दर्द उठना चाहिए जो हनीफुद्दीन और अजय आहूजा के दिलों में उठा। डॉ. मुखर्जी ने अपने जीवन और अपने बलिदान,दोनों से ही इस देश को प्राण दिए। उनके लिए भारतीय होने का अर्थ राजनीति के कपट जाल में फॅंसना नहीं, वरन् उस कपट जाल को तोडना था। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि आज जो पंजाब और बंगाल का हिस्सा भारत में दिखता हैं, उसके पीछे डॉ.श्यामा प्रसाद मुखजी का जुझारूपन और आंदोलन मुख्य कारण रहे हैं। डॉ. मुखर्जी के वह शब्द इतिहास में प्रसिद्ध हैं,जब उन्होंने कहा था,'कांग्रेस ने हिन्दुस्तान का बॅंटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का।' इस देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र,किन्तु खंडित भारत की कमान उस व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई, जिसे भारतीयता किवां हिन्दुत्व से चिढ थी और स्वयं को देश का अंतिम ब्रिटिश शासक कहलाने में गर्व का अनुभव करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि विभाजन की भीषण त्रासदी झेलकर

जो हिन्दु भारत पहुॅंच रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह गए हैं,उनके प्रति पंडित नेहरू बेहद उपेक्षपूर्ण और बहुत हदतक निर्मम नीति अपना रहे हैं। इस बिन्दु पर सरदार पटेल और पं.नेहरू में गम्भीर मतभेद पैदा हो गए थे। सरदार पटेल तो यहॉं तक चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ जमीन ले लेनी चाहिए। भले ही इसके लिए सशस्त्र पुलिस कार्यवाही ही क्यों न करनी पडे पं. नेहरू ने लियाकत अली से समझौताकर हिन्दुओं के भविष्य को पूरी तरह पाकिस्तानी दरिन्दों के हाथों में छोड दिया। यह देखकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आगबबूला हो उठे और उन्होंने उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। अपना त्यागपत्र देते समय उन्होंने इसके पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया जो आज भी ऐतिहासिक तथा प्रेरणप्रद एक दस्तावेज के रूप में माना जाता हैं।

संकल्पित,मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र देने के बाद डॉ.मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। लेकिन वह जल्दी ही समझ गए कि प्रतिपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाने के लिए संगठित पार्टी बनाना जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से वह प्रतिपक्ष के राजनीतिक मंच के गठन की संभावनाओं को तलाशने की ओर अग्रसर हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी किसी सशक्त व्यक्तित्व के नेतृत्व में राजनीतिक दल प्रारंभ किए जाने की जरूरत महसूस कर रहा था। डॉ. मुखर्जी और स्वयंसेवक संघ दोनों ही जिस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वह समान थी और इसी में से अक्टूबर,1951 में भारतीय जनसंघ का उद्धव हुआ जिसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मुखर्जी थे।

डॉ. मुखर्जी को अपने जीवन में बडी चुनौती का समना दो वर्ष बाद 1953 में करना पडा। जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृत्यिां 1952 तक बल पकडने लगी थीं, जिससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा। डॉ. मुखर्जी ने प्रजा परिषद् के सत्याग्रह को पूर्ण दिया जिसका उद्देष्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा था,अलग संविधान था और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था।

डॉ. मुखर्जी ने जोरदार नारा बुलन्द किया थाः '' एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे,नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त कियाः या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।''अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू सरकार और श्रीनगर में शेख अब्दुला की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और पं. नेहरू से कहा कि वे जम्मू जरूर जाएंगे और बिना 'परमिट' के जाएंगे।

बलिवेदी, 11 मई को रावी पर करते समय ही लखनपुर में डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल ले जाया गया। 40 दिन तक न उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और न अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गई। भारत का यह शेर श्रीनगर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को चिरनिद्रा में सोया गया। श्रद्धांजलि स्वरूप नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। यह ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम था।

युद्धविराम से आगे : क्या विश्व अहिंसा की ओर बढ़ेगा?

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

अमेरिका,इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की लपटों में घिरकर वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कई सप्ताह तक चले संघर्ष ने क्षेत्र को ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था, जिसकी प्रत्येक विस्फोटक घटना विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर रही थी। तेल बाजारों में भारी उथल-पुथल थी, निवेशकों में घबराहट बढ़ रही थी और वैश्विक मंदी की आशंकाएं गहराने लगी थीं। ऐसे में युद्धविराम ने विश्व को तत्काल राहत तो दी है,लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव बनेगा या केवल अगले युद्ध से पहले का एक अस्थायी विराम सिद्ध होगा? इतिहास साक्षी है कि युद्धविराम और शांति समझौते तभी टिकाऊ सिद्ध होते हैं,जब उनके पीछे केवल सामरिक विवशता नहीं,बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति,पारस्परिक विश्वास और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता भी हो। अन्यथा वे केवल संघर्षों के बीच का अंतराल बनकर रह जाते हैं। पश्चिम एशिया का इतिहास ऐसे असंख्य समझौतों का गवाह है,जो कागजों पर तो बने, लेकिन जमीन पर टिक नहीं सके। इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभार्थी ईरान दिखाई देता है। अमेरिका और इजरायल के सैन्य दबाव,आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद तेहरान न केवल अपने राजनीतिक ढांचे को बचाने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने विरोधियों को वार्ता की मेज पर आने के लिए भी बाध्य किया। ईरान अब अपने नागरिकों के समक्ष यह दावा कर सकता है कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। ईरानी नेतृत्व इसे प्रतिरोध की जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमेरिका की अजेयता की छवि को भी चुनौती दी है। वियतनाम,इराक और अफगानिस्तान के बाद यह एक और अवसर है,जिसने यह स्पष्ट किया कि केवल सैन्य शक्ति राजनीतिक परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकती। वाशिंगटन ने दबाव बनाया,अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया,लेकिन अंततः उसे वार्ता और समझौते का रास्ता अपनाना पड़ा। इससे यह संदेश गया है कि इक्कीसवीं सदी की दुनिया अब केवल शक्ति संतुलन से नहीं,बल्कि संवाद,कूटनीति और बहु पक्षीय सहयोग से संचालित होगी।

इजरायल के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से असहज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को अपने देश के अस्तित्व के लिए खतरा बताते रहे हैं। इजरायल को आशा थी कि युद्ध के माध्यम से ईरान की सामरिक क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर किया जाएगा। किंतु युद्धविराम के बाद ईरान स्वयं को विजेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे इजरायल के भीतर यह बहस और तीव्र हो सकती है कि क्या क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की तुलना में महाशक्तियों ने अपने सामरिक हितों को अधिक महत्व दिया। भारत के लिए यह समझौता विशेष महत्व रखता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। युद्ध की स्थिति में तेल आपूर्ति बाधित होने, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट उत्पन्न होने और कीमतों में वृद्धि की आशंका ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। युद्धविराम से तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी और खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी घटेंगी। लेकिन भारत का महत्व केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में नहीं है, वह आज वैश्विक शांति के एक नैतिक प्रवक्ता के रूप में भी उभर रहा है।

दरअसल,यह युद्ध एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है-क्या मानव सभ्यता युद्धों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर सकती है? आज महाशक्तियों ने ऐसी विनाशकारी सैन्य क्षमता अर्जित कर ली है कि किसी भी देश की एक छोटी-सी भूल संपूर्ण मानवता को विनाश की ओर धकेल सकती है। परमाणु हथियारों, जैविक अस्त्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणालियों के युग में युद्ध अब केवल सीमाओं का प्रश्न नहीं रह गया है,वह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। यही कारण है कि आज दुनिया को शक्ति की नहीं, शांति की राजनीति की आवश्यकता है। हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और शस्त्री करण की प्रतिस्पर्धा ने मानवता को भय, अविश्वास और असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। यदि विश्व को बचाना है, तो उसे निःशस्त्री करण, अहिंसा, सह-अस्तित्व और संवाद की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा।

इस संदर्भ में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।' आज यह कथन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है। भारत की सांस्कृतिक चेतना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत पर आधारित रही है,जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। यही कारण है कि भारत ने सदैव युद्ध के स्थान पर संवाद और टकराव के स्थान पर सहमति का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व के अनेक मंचों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 'यह युग युद्ध का नहीं है।' संयुक्त राष्ट्र,जी-20, ब्रिक्स तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं,बल्कि वार्ता है। यदि अंततः देशों को बातचीत की मेज पर ही लौटना पड़ता है,तो युद्ध की भयावह कीमत चुकाने की आवश्यकता ही क्या है?

भारत की विदेश नीति आज एक नए स्वरूप में सामने आ रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो,इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष हो अथवा पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट-भारत ने किसी पक्ष विशेष का अंध समर्थन करने के बजाय संतुलन, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की नीति अपनाई है। यही संतुलित दृष्टिकोण भविष्य में भारत को वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। लेकिन केवल सरकारें ही शांति स्थापित नहीं कर सकतीं। शांति का आधार समाजों,संस्कृतियों और मनुष्यों के भीतर निर्मित होता है। जब तक राष्ट्रवाद आक्रामकता का रूप लेता रहेगा, जब तक हथियार उद्योग युद्धों को लाभ का साधन बनाकर चलता रहेगा और जब तक राजनीतिक नेतृत्व युद्ध को लोकप्रियता अर्जित करने के उपकरण के रूप में उपयोग करता रहेगा,तब तक स्थायी शांति का सपना अधूरा रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय कुछ ठोस कदम उठाए-परमाणु एवं सामरिक हथियारों की होड़ को नियंत्रित किया जाए, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए स्थायी संवाद तंत्र विकसित किए जाएं और शिक्षा प्रणालियों में शांति एवं अहिंसा के मूल्यों को शामिल किया जाए। साथ ही युद्ध अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानव कल्याण आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। अमेरिका,इजरायल और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम निश्चय ही राहत का क्षण है,किंतु इसे स्थायी शांति में परिवर्तित करना अभी शेष है। यदि यह केवल सामरिक पुनर्संरचना का चरण बनकर रह गया,तो भविष्य में और भी अधिक विनाशकारी संघर्षों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन यदि विश्व समुदाय इस अवसर को आत्ममंथन का क्षण मानकर अहिंसा, संवाद और सह-अस्तित्व की नई वैश्विक संस्कृति विकसित करता है,तो यह युद्धविराम मानव इतिहास के एक नए अध्याय का प्रारंभ भी बन सकता है। दुनिया को आज युद्ध का अंधेरा नहीं,शांति का उजाला चाहिए। मानवता के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा अवसर भी।

पावन धरा पर उठे सवाल?

संजय एम तराणेकर
इन्दौर
मध्य प्रदेश

राम नाम की ज्योति जली थी,
मन में था विश्वास,
सदियों के संघर्ष के बाद,
आया था शुभ प्रकाश।
मंदिर की उस पावन धरा पर,
उठे अगर सवाल,
वो सत्य स्वयं ही सामने आए,
होगा सबका हाल।
जो कभी न गए दर्शन करने,
वो भी करते विचार,
राम के नाम पर
राजनीति से कैसा यह व्यवहार।
सच छिपेगा कब तक आखिर,
समय करेगा बात,
दूध का दूध व पानी का पानी,
देगा सही सौगात।
राम भक्ति का पथ है पावन,
निर्मल इसका भाव,
लोभ, छल व कपट से बचना,
यहीं धर्म ठहराव।
यदि कोई अपराधी होगा,
दण्ड उसे मिल जाएगा,
न्याय के सूर्य की किरणों से
अंधेरा मिट पाएगा।
राम किसी भी एक के नहीं हैं,
सबके हैं भगवान,
उनके चरणों में मिल जाता
मानव को सम्मान।
आईए मिलकर सत्य की
राहों पर कदम बढ़ाएँ,
हम रामराज्य के आदर्शों को
जीवन में अपनाएँ।

खेती-किसानी के दिन आगे...

अशोक पटेल आशु
शिवरीनारायण,छत्तीसगढ़

खेती-किसानी के,दिन आगे
माटी-पुत्र मन के, भाग जागे।

नांगर-बईला-जुड़ा,ह सजागे
अरई-तुतारी ह, अब सवंरागे।

खेत-खार मेड़-पार ह खनागे
कांदी-कचरा जम्मो कोड़ागे।

काँटा-खूंटी ह, सुघ्घर बिनागे
गांसा-पाखार-मुही ह पटागे।

ढेलवानी म, राहेर हर बोंवागे
हिरवां-तिल घलो सुलियागे।

हरई-हरई हर, नांगर जोतागे
लूचाई, दुबराज धान छिंचागे।

नंगरिया के नांगर ह घुमरागे
कर्मा-ददरिया के तान सुनागे।

कोयली के कुहकी मीठ लागे
मेचका-झींगुर,मन अब टर्रागे।

बादर गरजे,पानी हर बरसागे
धरती दाई के प्यास ह बुझागे।

कब तक इंदौर के हक छीनने पर भी चुप्पी साधे रहेगा यह शहर

रामबाबू अग्रवाल इदौर,मध्यप्रदेश

नौ विधायक,सांसद,महापौर, पूरी परिषद भाजपा की झोली में डालने की कीमत चुका रहा है इंदौर

देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा पाने वाला इंदौर आज कई ऐसे मुद्दों से जूझ रहा है, जिन पर शहर को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विकास, निवेश, प्रशासनिक फैसलों और संसाधनों के बंटवारे से जुड़े कई मामलों में समय-समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या इंदौर को उसकी आबादी,योगदान और जरूरतों के अनुरूप महत्व मिल रहा है?

जब किसी संस्थान,परियोजना, सरकारी सुविधा या निवेश को दूसरे शहर की ओर मोड़ा जाता है,तब इंदौर के नागरिकों के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर शहर के हितों की आवाज कौन उठाएगा? व्यापार, उद्योग, शिक्षा और कर राजस्व के मामले में प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला इंदौर यदि अपने अधिकारों और आवश्यक ताओं के लिए मुखर नहीं होगा, तो उसकी अपेक्षाओं को कौन सामने रखेगा?

लोकतंत्र में चुप्पी कभी-कभी सहमति मानी जाती है। इसलिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों,व्यापारिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों और तर्कों के आधार पर शहर के हितों की रक्षा करें। यह किसी दूसरे शहर के विरोध का विषय नहीं,बल्कि इंदौर को उसका उचित हक दिलाने का प्रश्न है।

इंदौर ने हमेशा प्रदेश को नेतृत्व दिया है। अब सवाल यह है कि जब शहर के हित प्रभावित होते दिखाई दें, तब क्या इंदौर केवल दर्शक बना रहेगा या अपनी आवाज लोकतांत्रिक और सकारात्मक तरीके से बुलंद करेगा?

लगता है इंदौर का नेतृत्व बोना हो गया है इसी के चलते लगातार इंदौर के हक पर कुठाराघात हो रहा है। एक के बाद एक सुविधा छीनी जा रही है, लेकिन इंदौर का नेतृत्व जो लगातार लंबे भाषण देने और हार फूल से स्वागत करने में आगे रहता है,इंदौर के हक छीन जाने पर चुप्पी साधे हुए हैं। शायद मुख्यमंत्री के सामने सबकी बोलती बंद है जिसके चलते इंदौर से हक उज्जैन को लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

इंदौर के हाथ से हक रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। लगता है कि इंदौर का नेतृत्व बोना हो गया है और यहां के हक की आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है क्या पता बात चलती तो यहां के स्कूल-कॉलेज और अस्पताल तक उठाकर कहीं और रख दिए जाते और इंदौर असहाय हो देखता रह जाता।

इंदौर के वे लोग आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने दिन-रात मेहनत की, विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए। उनके साथ घंटों सिर खपाया और मेट्रोपॉलिटन अर्थोरिटी का प्लान बनाया। उसे लागू कराने के लिए भोपाल-इंदौर एक कर दिया। मंत्रियों,अफसरों से समय ले-लेकर बार-बार उनके दरवाजे पर दस्तक दी। किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, सिवाय इसके कि हमारा शहर बेहतर हो। हमारा इंदौर आगे बढ़े,यहां के लोग तरक्की करें। बच्चे बेहतर भविष्य देखें, लेकिन हुआ क्या। पुरानी कहावत है नाचे-कूदे बांदरी और खीर खाए फकीर। इंदौर फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर स्टेशन पर खड़ा रह गया। किसी ने पूरी ट्रेन रिवर्स में ले जाकर किसी और ही स्टेशन पर खड़ी कर दी।नाम छीना, पहचान पीछे धकेली और अब उसका मुख्यालय भी बदलने की बात चल रही है, फिर भी किसी का खून नहीं खौल रहा। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में इंदौर का नाम पीछे करने के बाद मुख्यालय भी उज्जैन करने के आसार हैं। हालांकि अफसर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी लगातार दूसरी बार भोपाल में होगी, जबकि लंबे समय तक यह इंदौर में ही होती रही है। पीथमपुर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है,लेकिन एनटीएच (नेशनल टेस्टिंग हाउस) लैब विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन में बनी है।

, मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर का शत-प्रतिशत क्षेत्र और उज्जैन का सिर्फ 59त्न एरिया शामिल है। अथॉरिटी क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर इंदौर है फिर भी इंदौर को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। रेलवे , बेहतर है इंदौर को इस रीजन से बाहर कर दें।

क्या इंदौर एकतरफा समर्थन की कीमत चुका रहा है? कोई बोलने वाला नहीं बचा है, आवाज उठाने वाला नहीं बचा है। सिर्फ तमाशबीन रह गए हैं, जिनके पास भूमिपूजन,शिलान्यास करने और लच्छेदार भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या कहेंगे, जो इंदौर के साथ लगातार हो रही इस लूट पर भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। कहां तो नौ के नौ विधायक, सांसद, महापौर, पूरी परिषद नाम करने वाले इंदौर को सौगातों से लाद दिया जाना चाहिए था,लेकिन यहां तो उसी से छीना-झपटी में ही लगे हैं।

इंदौर को मप्र कीव्यावसायिक राजधानी कहते नहीं थकते थे, लेकिन अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक के लायक हमें नहीं समझा जा रहा। इंदौर जिसने पहली समिट से प्रदेश में विकास के नए द्वार खोले थे। जिसकी सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया गया था। जहां की इंडस्ट्री को दिखाकर मप्र की शान में कसीदे पढ़े जाते थे। जिसके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी,अस्पताल प्रदेश का गौरव बढ़ाते थे। उसी शहर से एक-एक सुविधा, संसाधन और अवसर छीनते हुए किसी को लाज नहीं आ रही। न किसी का जमीर जाग रहा है कि आखिर ये इंदौर के साथ कैसा षड्यंत्र हो रहा है।

राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तीन हिस्से किए जाते हैं तब भी इंदौर की किसी को याद नहीं आती है। एसजीएसआईटीएस की विरासत तक भुला दी गई। आखिर इंदौर से ये कैसी दुश्मनी निकाली जा रही है। एनएबीएल लैब तक के लायक नहीं समझा गया हमें। पीथमपुर को कभी एशिया का डेट्राइट बनाने के सपने दिखाए जाते थे, वह अब तक तरस रहा है और लैब दूसरी ही जगह आकार ले रही है। हम ट्रिब्यूनल की बेंच तक के लिए तरस रहे हैं।

सहनशीलता की भी सीमा होती है और धैर्य भी कभी न कभी जवाब दे ही जाता है। तूफान के पहले का सन्नाटा और बाद की खामोशी दोनों ही जानलेवा होती है। समय पर इसे न भांप पाएंगे तो फिर भले सब साथ हों,समय साथ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अकेले इन्दौर जिले का योगदान लगभग 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत है। इन्दौर की जीडीपी ₹1.7 लाख करोड़ रुपए सालाना के दायरे में है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन्दौर शहर/जिले का प्रत्यक्ष योगदान 0.25त्न से 0.30 प्रतिशत के करीब ठहरता है, जो किसी भी नॉन-कैपिटल (गैर-राजधानी) श्रेणी के टियर-2 शहर के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है।

रेरा मुख्यालय व बेंच दोनों नहीं - प्रदेश के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजार के बावजूद रेरा का मुख्यालय भोपाल रखा गया। इंदौर में बेंच खोलने की घोषणा अब तक जमीन पर नहीं आई।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

अंबिकापुर की सियासत में वायरल ऑडियो से भूचाल

महापौर पर 3 लाख रुपए लेने के आरोप,भाजपा जिलाध्यक्ष से कथित बातचीत ने बढ़ाई हलचल,मेयर ने बताया राजनीतिक साजिश,निष्पक्ष जांच की मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
नगर की राजनीति में सोमवार को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया,जब महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल ऑडियो को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि मेले की अनुमति से जुड़े मामले में 3 लाख रुपए के लेन-देन की चर्चा हुई। हालांकि वायरल ऑडियो की प्रमाणिकता और आवाज की पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। ऑडियो सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है,वहीं महापौर मंजूषा भगत ने पूरे प्रकरण को अपनी छवि खराब करने की कोशिश और राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए,ताकि वास्तविकता सामने आ सके।

मेले की अनुमति को लेकर शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि पूरा मामला अंबिकापुर में लगने वाले मेले की अनुमति और उससे जुड़े विवाद से जुड़ा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर अनुमति प्रक्रिया और पैसों से संबंधित बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऑडियो की जांच जरूरी मानी जा रही है,क्योंकि डिजिटल माध्यम से सामने आने वाले ऑडियो और वीडियो की सत्यता की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकती है।

महापौर का पलटवार...बदनाम करने की कोशिश

महापौर मंजूषा भगत ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की सामग्री वायरल की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर ऑडियो सही है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर गलत है तो इसके पीछे के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम आने से बढ़ी सियासी गर्मी

इस पूरे विवाद में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया का नाम आने से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। भाजपा और विपक्ष दोनों ही पक्षों में इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निकाय राजनीति में यह विवाद आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है।

जांच से ही साफ होगी तस्वीर...

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि वायरल ऑडियो वास्तविक है या एडिट किया गया है,बातचीत किस संदर्भ में हुई और लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शहर की राजनीति में इस वायरल ऑडियो ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही,पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता को लेकर बहस छेड़ दी है।

वायरल ऑडियो विवाद : महापौर मंजूषा भगत ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र

आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि को बदनाम करने की साजिश का आरोप,फर्जी ऑडियो की फोरेंसिक जांच की मांग..

नगर पालिक निगम अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत से जुड़े कथित वायरल ऑडियो मामले ने शहर की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। वायरल ऑडियो में कथित रूप से मेले की अनुमति और 3 लाख रुपए के लेन-देन को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। वहीं महापौर मंजूषा भगत ने पूरे मामले को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए अजाक थाना अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई है और कथित ऑडियो की तकनीकी व फोरेंसिक जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महापौर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 21 जून 2026 को अनुराग मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से एक कथित ऑडियो क्लिप प्रसारित की गई, जिसमें कला केंद्र मैदान/मीना बाजार से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह निराधार, भ्रामक और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री उनकी सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

लोकप्रियता से घबराए लोगों की साजिश : महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि वे अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाली महिला जनप्रतिनिधि हैं और उनकी बढ़ती स्वीकार्यता व जनसमर्थन से घबराकर कुछ राजनीतिक तत्व उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत मानहानि का विषय नहीं है, बल्कि महिला जनप्रतिनिधि के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है।

ऑडियो की हो तकनीकी जांच...

शिकायत में महापौर ने मांग की है कि वायरल ऑडियो की निष्पक्ष तकनीकी एवं फोरेंसिक जांच कराई जाए। जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि ऑडियो किसने तैयार किया, किसके निर्देश पर बनाया गया और किन लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर फैलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि जांच केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे मामले के पीछे सक्रिय लोगों,समूहों या राजनीतिक संरक्षण देने वालों की भी जांच होनी चाहिए।

राजनीतिक विरोध स्वीकार,बदनाम करने की कोशिश नहीं...

महापौर ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन किसी महिला जनप्रतिनिधि को बदनाम करने के लिए फर्जी सामग्री तैयार करना और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना गंभीर अपराध है। उन्होंने प्रशासन से भारतीय न्याय संहिता,साइबर अपराध से जुड़े प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की है।

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल : वायरल ऑडियो मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष और महापौर के बीच कथित बातचीत का दावा किए जाने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि ऑडियो की वास्तविकता और उसमें मौजूद आवाजों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। महापौर के समर्थन में निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी,जिला महामंत्री विनोद हर्ष, मधुसूदन शुक्ला,पार्षद मनीष सिंह, रुपेश दुबे,एमआईसी सदस्य जितेंद्र सोनी सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

फिलहाल मामला पुलिस शिकायत तक पहुंच चुका है और अब सभी की नजर जांच की दिशा और रिपोर्ट पर टिकी है।

कलाकेन्द्र मैदान आवंटन विवाद गरमाया : वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने मांगी एसआईटी जांच

मीना बाजार आवंटन में लाखों के लेनदेन का आरोप,नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद बोले...तीन दिन में जांच नहीं तो होगा आंदोलन...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
कलाकेन्द्र मैदान में मीना बाजार लगाने के लिए हुए आवंटन को लेकर शहर की राजनीति गरमा गई है। मैदान आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े वायरल ऑडियो के बाद सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल से कराने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि वायरल टेलीफोनिक बातचीत में कलाकेन्द्र मैदान के आवंटन के लिए लाखों रुपये के लेनदेन की चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि विभिन्न माध्यमों से यह बात सामने आ रही है कि वायरल ऑडियो में जिन आवाजों का उल्लेख किया जा रहा है, वह अंबिकापुर महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष से जुड़ी बताई जा रही हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मैदान के आवंटन को लेकर एक व्यक्ति से राशि की मांग अथवा लेनदेन की बात सामने आई, लेकिन बाद में अधिक राशि देने वाले व्यक्ति को आवंटन कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि इस बातचीत से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मीना बाजार के लिए कलाकेन्द्र मैदान आवंटन में करीब 10 लाख रुपये तक के लेनदेन का मामला हो सकता है।

निष्पक्ष जांच की मांग,तीन दिन का दिया अल्टीमेटम : कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मामले की जांच एसआईटी के माध्यम से कराई जाए, ताकि वायरल ऑडियो की सत्यता, आवाज की पहचान और कथित लेनदेन की पूरी जानकारी सामने आ सके। निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि नगर निगम से जुड़े भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों की भी जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर से चर्चा के दौरान कहा कि तीन दिनों के भीतर एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की जानी चाहिए। कांग्रेस को इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। यदि समय सीमा में जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस निगम घेराव सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगी।

कॉल रिकॉर्ड और वॉयस सैंपल से सामने आएगी सच्चाई-कांग्रेस प्रदेश महामंत्री द्वितेन्द्र मिश्रा ने कहा कि सामान्य वॉयस सैंपल और कॉल रिकॉर्ड की जांच से पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ जाएगी। उन्होंने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर सकता है।

भ्रष्टाचार के कारण महंगा हुआ मीना बाजार : कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने मीना बाजार में बढ़े शुल्क को भी मुद्दा बनाया है। पार्टी का कहना है कि पिछले एक वर्ष में मीना बाजार का प्रवेश शुल्क, झूले की दर और पार्किंग शुल्क में काफी वृद्धि हुई है। कांग्रेस के अनुसार 45 दिन तक चलने वाले मीना बाजार के लिए निगम द्वारा निर्धारित शुल्क लगभग 12,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करीब 5.62 लाख रुपये बैठता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यदि करीब 10 लाख रुपये के लेनदेन की बात सही पाई जाती है तो यह निर्धारित शुल्क से भी अधिक राशि है, जिसका असर आम जनता पर पड़ा और मीना बाजार महंगा हुआ।

युवक कांग्रेस ने चौक-चौराहों पर सुनाया वायरल ऑडियो

वायरल ऑडियो को लेकर युवक कांग्रेस ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को ऑडियो सुनाया। युवक कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए पंपलेट वितरण कर लोगों को जानकारी देने की भी बात कही गई है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में हेमंत सिन्हा,संजय विश्वकर्मा,मो. इस्लाम,इंद्रजीत सिंह धंजल, संजय सिंह,मो. जमील,आलोक सिंह,जीवन यादव,नरेंद्र विश्वकर्मा,अमित तिवारी राजा, चंद्रप्रकाश सिंह,रजनीश सिंह, सोहन जायसवाल,शुभम जायसवाल, अविनाश कुमार,प्रभात रंजन सिन्हा, विकास शर्मा,मिथुन सिंह,मो. इमरान, शिवांशु गुप्ता,तरणराज बाबरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्लेसमेंट के नाम पर चेन्नई ले जाकर फंसाने का आरोप सरगुजा की 3 युवतियों ने वीडियो जारी कर मांगी मदद

घर लौटने के लिए 10-10 हजार रुपए मांगने का आरोप, विधायक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन-पुलिस सक्रिय

-संवाददाता-
अंबिकापुर/सीतापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भरतपुर के बेलजोरा बिनई गांव की तीन युवतियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर चेन्नई के कांचीपुरम में फंसे होने का दावा किया है। युवतियों ने आरोप लगाया है कि जॉब दिलाने के नाम पर उन्हें वहां ले जाया गया, लेकिन अब घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सीतापुर विधायक से सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो में युवतियों ने बताया कि उन्होंने जशपुर में तीन महीने तक सिलाई का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के नाम पर उन्हें चेन्नई के कांचीपुरम ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि जब भी उनका मन होगा, वे घर लौट सकेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। युवतियों का आरोप है कि दो युवतियों और एक युवक ने उन्हें चेन्नई पहुंचाया था। अब जब वे वापस घर आना चाहती हैं तो संबंधित लोग उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले बातचीत होने पर उनसे कथित तौर पर कहा गया कि यदि घर जाना है तो प्रत्येक युवती को 10-10 हजार रुपए देने होंगे। उनका कहना है कि उनकी तबीयत भी खराब है और वे काफी परेशान हैं।

विधायक ने प्रशासन को दिए कार्रवाई के निर्देश

युवतियों का वीडियो सामने आने के बाद सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को तत्काल जानकारी देकर तीनों युवतियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

मानव तस्करी की घटनाओं से जुड़ी चिंता...

गौरतलब है कि सीतापुर और मैनपाट क्षेत्र में पहले भी रोजगार और बेहतर भविष्य का झांसा देकर युवाओं एवं नाबालिगों को दूसरे राज्यों में ले जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई पीड़ितों की घर वापसी हो चुकी है, जबकि कुछ अब भी लापता बताए जाते हैं। ऐसे मामलों को लेकर क्षेत्र में मानव तस्करी की आशंका लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा...

ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में 20 हजार रुपए का जुर्माना,न्यायालय ने सुनाई सजा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यातायात पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक CG-16/CT/0488 के चालक दीपेश यादव (20 वर्ष),निवासी सिरसी,भैयाथान,जिला सूरजपुर को रोका गया। जांच में चालक शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब सेवन की पुष्टि हुई। वहीं दूसरे मामले में पिकअप वाहन क्रमांक CG-14/MG/6216 के चालक प्रभात कुमार दास (26 वर्ष),निवासी बकडोल, थाना बगीचा, जिला जशपुर को जांच के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशे की पुष्टि हुई। दोनों वाहन चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों चालकों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड, कुल 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भापुसे) के दिशा-निर्देशन में की गई। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित पुलिस टीम के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

शराब पीने से रोकने की रंजिश में हत्या,दो आरोपी गिरफ्तार

लकड़ी के गेंड़ा और फाड़ी से हमला कर संतलाल को उतारा था मौत के घाट,पुलिस ने हथियार सहित अन्य सामान किया जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
घर के पास शराब पीने से मना करने की बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोकसरी में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पोकसरी निवासी बिन्द्रा राम (60 वर्ष) ने थाना बतौली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई संतलाल ने पड़ोस में शराब पी रहे जानचंद को रोक-टोक किया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। बताया गया कि 21 जून की रात करीब 12:30 बजे जानचंद और सुखऊ राम मोटरसाइकिल से संतलाल को खोजते हुए उसके घर पहुंचे थे। दोनों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगले दिन सुबह संतलाल का शव गांव के बंधवाटिकरा स्थित बंधवा गुड़ी के पास मिला। मृतक के सिर, चेहरे, कंधे और पीठ पर चोट के निशान पाए गए थे। मौके से पुलिस ने लकड़ी का गेंड़ा, लकड़ी की फाड़ी, मृतक का मोबाइल और टांगी बरामद की। मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 70/26 के तहत धारा 103(1), 332(क), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत हत्यात्मक प्रकृति की होना सामने आया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भापुसे) के निर्देश पर पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने ग्राम पोकसरी निवासी जानचंद पिता रघुन सिंह (23 वर्ष) और सुखऊ राम पिता महावीर (24 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, उप निरीक्षक आभाष मिंज, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अंबिकापुर-दिल्ली रेल यात्रियों को बड़ी राहत : अब सप्ताह में दो दिन दौड़ेगी अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस

साप्ताहिक ट्रेन की बढ़ी आवृत्ति, सरगुजा संभाग के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के लाखों रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संख्या 22407/22408 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर एक्सप्रेस के संचालन में विस्तार करते हुए इसे अब सप्ताह में दो दिन संचालित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार अब 22407 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को अंबिकापुर स्टेशन से रवाना होगी। वहीं 22408 हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को दिल्ली से अंबिकापुर के लिए चलेगी। इस निर्णय से सरगुजा,सूरजपुर, बलरामपुर,कोरिया सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी,मरीज एवं उनके परिजनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अंबिकापुर-दिल्ली रेल सेवा की आवृत्ति बढ़ाने की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही थी। क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज द्वारा भी इस विषय को रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

वन विभाग में टकराव के बाद पिघली बर्फ : प्रदेश अध्यक्ष को रेस्ट हाउस में कमरा देने से इनकार पर मचा बवाल

कर्मचारियों के आक्रोश के आगे झुके डीएफओ...लंबी चर्चा के बाद सुलझा विवाद

-रवि सिंह-

मनेंद्रगढ़ 22 जून 2026 (घटती-घटना)। वन विभाग में सोमवार को उस समय अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हो गई जब अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सीधा टकराव खुलकर सामने आ गया,छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत दुबे के प्रथम मनेंद्रगढ़ आगमन पर उन्हें विभागीय विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) में कमरा उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले ने देखते ही देखते बड़ा विवाद खड़ा कर दिया,कर्मचारियों ने इसे केवल आवास का नहीं बल्कि पूरे कर्मचारी संगठन के सम्मान और अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध का मोर्चा खोल दिया, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि वन मंडल कार्यालय परिसर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों से गूंज उठा। अंततः कर्मचारियों के बढ़ते आक्रोश और संगठनात्मक दबाव के बीच वन मंडलाधिकारी चंद्र कुमार अग्रवाल को बातचीत करनी पड़ी और विवाद का पटाक्षेप हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले ही शुरू हुआ विवाद-जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अजीत दुबे के मनेंद्रगढ़ आगमन को लेकर स्थानीय कर्मचारी संगठन काफी उत्साहित था, प्रदेश अध्यक्ष के ठहरने की व्यवस्था के लिए विभागीय विश्राम गृह में कमरा उपलब्ध कराने का अनुरोध भी पूर्व में किया गया था, कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि इसके बावजूद वन मंडलाधिकारी द्वारा रेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसे ही यह जानकारी कर्मचारियों तक पहुंची, नाराजगी तेजी से फैल गई और जिलेभर के कर्मचारी वन मंडल कार्यालय पहुंचने लगे।

कर्मचारियों ने खोला मोर्चा,कार्यालय परिसर में गूंजे नारे- कुछ ही देर में वन मंडल कार्यालय का माहौल पूरी तरह बदल गया, बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, कर्मचारी एकता जिंदाबाद','डीएफओ की तानाशाही नहीं चलेगी','कर्मचारी सम्मान से समझौता नहीं' और 'संगठन का अपमान बर्दाश्त नहीं' जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा, कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कर्मचारी संगठन के सम्मान का है, उनका कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार कर्मचारियों की भावनाओं को आहत करने वाला है।

बढ़ते आक्रोश के बीच डीएफओ चैंबर में हुई निर्णायक बैठक-बाहर बढ़ती भीड़ और लगातार हो रही नारेबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे स्वयं जिला पदाधिकारियों के साथ वन मंडलाधिकारी के चैंबर पहुंचे, सूत्रों के अनुसार बंद कमरे में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गंभीर और तीखी चर्चा हुई,कर्मचारी प्रतिनिधियों ने पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने की मांग रखी,चर्चा के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण बताया गया,लेकिन दोनों पक्षों ने संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास जारी रखा।

डीएफओ ने कहा—पूरी जानकारी नहीं थी- बैठक के बाद बाहर आए प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने मीडिया को बताया कि वन मंडलाधिकारी ने इस मामले में जानकारी के अभाव की बात स्वीकार की है,उन्होंने कहा कि डीएफओ ने भविष्य में कर्मचारी संगठनों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद बनाए रखने का आश्वासन दिया है,साथ ही उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभागीय कार्य संचालन करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

तत्काल आवंटित किया गया रेस्ट हाउस का कमरा-बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद वन विभाग के शासकीय विश्राम गृह में प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे के लिए कमरा आवंटित कर दिया गया,इसके साथ ही पूरे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकल आया और कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया, कर्मचारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं था,बल्कि संगठन के सम्मान से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखना था।

घटना ने उजागर की संवादहीनता की समस्या

हालांकि मामला सुलझ गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने वन विभाग के भीतर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद और समन्वय की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, कर्मचारियों का कहना है कि यदि शुरुआत में ही संवाद स्थापित कर लिया जाता और संवेदनशीलता दिखाई जाती, तो इतनी बड़ी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं कई कर्मचारियों का मानना है कि विभाग में समय-समय पर संवाद की कमी के कारण छोटे मुद्दे भी बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं।

भविष्य के लिए मिला बड़ा संदेश...

सोमवार का यह घटनाक्रम भले ही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया हो, लेकिन इसने वन विभाग को एक बड़ा संदेश जरूर दिया है कि संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद, आपसी सम्मान और समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर वे भविष्य में भी एकजुट रहेंगे, वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी सहयोग और तालमेल के साथ कार्य करने का भरोसा दिलाया है, फिलहाल विवाद थम गया है, लेकिन मनेंद्रगढ़ वन मंडल में सोमवार को घटी यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहने की संभावना है।

करोड़ों की 'तीसरी आंख' बंद! 90 में सिर्फ 15 कैमरे चालू,सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल

अंबिकापुर में सीसीटीवी नेटवर्क बदहाल,अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल,मरम्मत का काम जल्द शुरू करने का दावा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार की गई निगरानी व्यवस्था में वर्तमान में 90 कैमरों में से केवल 15 कैमरे ही चालू हैं,जबकि बाकी कैमरे खराब पड़े हैं। ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं। जिस 'तीसरी आंख' के भरोसे पुलिस और प्रशासन ने अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक निगरानी और घटनाओं की त्वरित जांच के दावे किए थे,वही व्यवस्था लंबे समय से कमजोर नजर आ रही है। यदि शहर के अधिकांश कैमरे बंद हैं तो चोरी, लूट,सड़क दुर्घटना,छिनतई और अन्य घटनाओं में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना चुनौती बन सकता है।

करोड़ों खर्च के बाद रखरखाव पर सवाल : सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान दावा किया गया था कि शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी मजबूत होगी। कैमरों की मौजूदगी से अपराधियों में भय रहेगा और पुलिस को घटनाओं की जांच में मदद मिलेगी।

- लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद रखरखाव की व्यवस्था क्यों कमजोर पड़ी?
- क्या कैमरों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध था?
- यदि था तो खराब कैमरे समय पर ठीक क्यों नहीं हुए?
- यदि नहीं था तो करोड़ों की योजना बिना स्थायी रखरखाव व्यवस्था के कैसे शुरू की गई?

सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर

सीसीटीवी कैमरे केवल घटना के बाद जांच का माध्यम नहीं होते, बल्कि अपराध रोकने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कैमरे चालू होने से अपराधियों में रिकॉर्ड होने का डर रहता है। लेकिन जब कैमरे बंद हो जाते हैं तो आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। व्यापारी, महिलाएं,छात्र और आम लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना होती है तो उसकी निगरानी और रिकॉर्डिंग कौन करेगा?

जिम्मेदारी किसकी?

सीसीटीवी व्यवस्था में पुलिस विभाग, नगर निगम,प्रशासन और तकनीकी एजेंसी की भूमिका होती है। लेकिन कैमरे बंद होने के बाद अब तक किसी एक जिम्मेदार विभाग या एजेंसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है।

जनता के सवाल

- 90 कैमरों में से कितने कैमरे कब से खराब हैं?
- कैमरों की मरम्मत में देरी क्यों हुई?
- रखरखाव के लिए अब तक कितना खर्च किया गया?
- खराबी के लिए जिम्मेदार कौन है?
- पूरी निगरानी व्यवस्था कब तक सामान्य होगी?

15 कैमरे चालू,बाकी की मरम्मत जल्द शुरू होने का दावा

पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी दुर्गेश्वरी चौबे ने बताया कि शहर में कुल 90 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 15 कैमरे ठीक कर चालू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कैमरों की मरम्मत का काम फिलहाल रुका हुआ है, जिसे जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से खराब पड़े कैमरों को दुरुस्त कर सक्रिय किया जाएगा।

अब देखने वाली बात होगी कि करोड़ों रुपये की यह निगरानी व्यवस्था कब पूरी तरह पटरी पर लौटती है और शहर की 'तीसरी आंख' फिर से कितनी प्रभावी हो पाती है।

सोमनाथ यात्रा पर निकला सरगुजा का सांस्कृतिक दल

87 साहित्यकार-कलाकार विशेष ट्रेन से रवाना,साथ ले गए छत्तीसगढ़ की मिट्टी और नदियों का जल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश के सामने रखने के उद्देश्य से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के लिए सरगुजा संभाग का दल सोमवार को विशेष ट्रेन से गुजरात के सोमनाथ के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस यात्रा में सरगुजा जिले के 87 साहित्यकार, कलाकार,सांस्कृतिक कर्मी और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट प्रतिभाएं शामिल हैं। यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों का जल कलश में और प्रदेश के विभिन्न धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की पवित्र मिट्टी साथ ले जाई गई है। सोमनाथ पहुंचकर इनसे विशेष पूजन एवं अभिषेक किया जाएगा।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै प्रकाश चंद लकड़ा (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/ सुपुत्री नाईशा लकड़ा गाँव/ शहर मानिक प्रकाशपुर तहसील-अम्बिकापुर जिला -सूरजपुर, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/ सुपुत्री का नाम नैशा लकड़ा (पुराना नाम) से बदल नाईशा लकड़ा (नया नाम) रख लिया है।

पालक
मै प्रकाश चंद लकड़ा
मानिक प्रकाशपुर तहसील-अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजकुमार आ. रामाधार उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम हौली बलिया पोस्ट पचरूखा देवरिया उ.प्र का निवासी हूं यह कि मै पुलिस विभाग में ए.पी.सी के पद पर पुलिस लाईन अम्बिकापुर मे पदस्थ हूं, तथा मेरे सर्विस बुक में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश अंजना देवी दर्ज हो गया है।
मेरी पत्नी का सही नाम अंजना है जो उसके आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है।
उक्त सर्विस बुक में अंकित मेरी पत्नी के गलत नाम अंजना देवी को विलोपित कर अंजना दर्ज किया जाये जिसके संबंध स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

शपथग्रहिता
राजकुमार

ड्राइवर महासंघ ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

बीमा, पेंशन, रोजगार, सुरक्षा और चालक कल्याण योजनाओं की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ, जिला सरगुजा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने चालक वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, रोजगार, सडक़ सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में चालक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए बीमा सहायता देने, सडक़ सुरक्षा के लिए प्रभावी अभियान चलाने, चालक सुरक्षा कानून बनाने और चालक को श्रमिक श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा 55 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन, परिवहन विभाग में विश्राम गृह, चालक आवास योजना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था तथा स्थानीय उद्योगों में प्रदेश के चालकों को 70 प्रतिशत प्राथमिकता देने की मांग भी रखी गई है। महासंघ ने प्रत्येक जिले में ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, पेट्रोल पंपों पर सुरक्षित पार्किंग, रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने तथा एक जुलाई को राष्ट्रीय चालक दिवस घोषित करने की भी मांग की है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

ईश्तहार
रा0प्र0क्र0/..../अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेन्द्र कुमार वर्मा आ.स्व. अवध किशोर प्रसाद वर्मा, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा नगर अम्बिकापुर,मोहल्ला देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क्र. 977, 984, 985, 977/4839/1 रकबा क्रमशः 0.35, 0.13, 0.08, 0.02 एकड़ भूमि के सह खातेदार श्रीमती चंद्रावती देवी पति स्व. अवध किशोर प्रसाद की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त भूखण्ड से उनका नाम विलोपित किये जाने हेतु श्रीमती चंद्रावती देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109,110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25/ 06/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं । नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक- 13/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

ईश्तहार
रा0प्र0क्र0/..../ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तनिष कुमार सिन्हा आ0 रविन्द्र कुमार सिन्हा व अन्य निवासी बी/84 प्रगतिनगर दीपका जिला कोरबा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 192/60 रकबा 0.024 हे0 भूमि को अनावेदक सुनील नाथानी आ0 अनिल कुमार नाथानी व अन्य निवासी के. एन. सिंह हाउस के सामने केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 36,50,000/- में सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है,जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 15.07. 2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
आज दिनांकः- 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
,अंबिकापुर(सरगुजा)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

ईश्तहार
रा0प्र0क्र0/..../अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अम्बरी जफर पति डॉ0 समशुदोहा, उम्र 66 वर्ष, नेला सधीर पत्नि डॉ0 मो0 शामिल, उम्र 38 वर्ष दोनों निवासी ईमलीपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (40ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदिका श्रीमती सुजाता अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल, निवासी जवाहर मार्केट अश्पुर के स्वामित्व व अभिनपत्य की नगर अपुर, मोहल्ला ईमलीपारा स्थित नमून भूमि प्लॉट नंबर 979/2, 979/3 रकबा क्रमशः $0.02^{1/2}$, $0.02^{3/4}$ एकड़ भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 25. 03. 2026 के माध्यम से कम किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति गय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 06/ 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक- 22/06/2026 को मेरे न्यायलयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

क्रमांक /क्यू/ज0मृ0/2026
लखनपुर दिनांक 11/06/2026

ईश्तहार

प्रति,
समस्त ग्रामवासी
ग्राम अमगसी तहसील
लखनपुर,जिला सरगुजा छ0म0

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुमारी सिंह आ.स्व. मुडउ पैकरा निवासी ग्राम अमगसी के द्वारा अपने पिता स्व.मुडउ पैकरा की मृत्यु दिनाक 28/02/2025 को हो जाने से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छग जन्म मृत्यु रिज) नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण हेतू आवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 25/06/26 को सुनवाई की जानी है।
आवेदक/ आवेदीका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो यह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी तिथि 25/06/26 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है । नियत दिनांक के पश्चात होने वाले दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा

सील
तहसीलदार
लखनपुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पूनम सिंह पति राजकुमार सिंह व अन्य सीतापुर तहसील सीतापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 2 / 728 रकबा 79.3 वर्गमीटर भूमि एवं निर्मित मकान को अनावेदक जितेन्द्र विश्वकर्मा पिता नरेन्द्र विश्वकर्मा व अन्य निवासी कन्या परिसर कॉलोनी बिशुनपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 30,00,000/- में सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 15.07.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
आज दिनांक- 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका देवराज सिंह बाबरा आ0/ पति प्रभुदयाल सिंह बाबरा जाति निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-देवीगंज रोड़, शीट नम्बर- नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1163/1 रकबा $0.33^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
आज दिनांकः 09.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

CMYK

75 साल पुरानी वन भूमि पर कब्जे का खेल!

स्टे लगाने वाले एसडीएम के रहते 50 लाख से अधिक के सौदे की चर्चा

प्रशासनिक भूमिका पर उठे सवाल...

पहले फॉरेस्ट रेंजर बंगला (तस्वीर वर्ष 2015 की)

पुराने स्टाफ क्वार्टर (तस्वीर वर्ष 2015 की)

फॉरेस्ट रेंजर बंगला गायब,स्टाफ क्वार्टर भी लुप्त अब स्टे के बावजूद जमीन सौदे की चर्चा, भट्ठीपारा वन भूमि प्रकरण में कई सवाल...

स्टे था तो सौदा कैसे हुआ? 75 साल पुरानी वन विभाग की जमीन पर कब्जे और रिकॉर्ड बदलाव की जांच की मांग तेज...

वन भूमि से निजी संपत्ति तक का सफर! रेंजर बंगला टूटा,क्वार्टर गायब हुए,अब करोड़ों की जमीन पर उठ रहे बड़े सवाल...

भट्ठीपारा वन भूमि कांड फाइलों में स्टे,जमीन पर सौदा?एसडीएम,राजस्व और पंजीयन विभाग की भूमिका पर उठे गंभीर प्रश्न...

पहले गायब हुआ रेंजर बंगला...अब स्टे के बावजूद सौदे की चर्चा...भट्ठीपारा वन भूमि प्रकरण में प्रशासनिक जवाबदेही पर खड़े हुए सात बड़े सवाल...

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,22 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया वनमंडल बैकुंठपुर के भट्ठीपारा स्थित वन विभाग की बहुमूल्य भूमि से जुड़ा विवाद अब जिले के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल हो गया है,करीब 75 वर्षों से वन विभाग के कब्जे और उपयोग में रही भूमि पर पहले राजस्व रिकॉर्ड में कथित बदलाव कर निजी स्वामित्व दर्ज होने की बात सामने आई, फिर पुराने फॉरेस्ट रेंजर बंगले और छह स्टाफ क्वार्टरों के अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए और अब इस विवादित भूमि के 50 लाख रुपये से अधिक में सौदा होने की चर्चाओं ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है,सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आ रहा है कि इस भूमि विवाद पर स्टे आदेश स्वयं एसडीएम न्यायालय द्वारा लगाया गया था,ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रभावी था, तब जमीन की खरीदी-बिक्री,निर्माण और कब्जे की गतिविधियां कैसे चलती रहीं?

घटती-घटना

75 वर्षों से जिस जमीन पर बने हैं वन विभाग के शासकीय आवास, उसे तोड़कर दबंग कर रहे कब्जा

2025 में उठे थे सवाल, 2026 में और गहरा गया मामला

यह विवाद पहली बार चर्चा में तब आया जब स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबरों में दावा किया गया कि भट्ठीपारा स्थित वन विभाग की भूमि पर बने पुराने फॉरेस्ट रेंजर बंगले और छह शासकीय स्टाफ क्वार्टरों को हटाकर निजी निर्माण खड़ा कर दिया गया है, रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ कर जमीन को थर्ड पार्टी के नाम दर्ज किया गया और इसी आधार पर कब्जा तथा निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी,वन विभाग ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन को कई पत्र लिखे थे। वनमंडलाधिकारी द्वारा एसडीएम,पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद विवाद समाप्त होने के बजाय और अधिक उलझता चला गया।

75 वर्षों तक सरकारी भवन रहे, फिर अचानक निजी जमीन कैसे बन गई?

स्थानीय लोगों और पुराने रिकॉर्ड से यह तथ्य सामने आता है कि विवादित भूमि पर दशकों से वन विभाग के भवन मौजूद थे, यहां फॉरेस्ट रेंजर बंगला था,जहां वन अधिकारियों का निवास और कार्यालयीन गतिविधियां संचालित होती थीं, इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर भी बने हुए थे,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भूमि पर वर्षों तक सरकारी भवन खड़े रहे, वह अचानक निजी स्वामित्व में कैसे पहुंच गई? यदि भूमि वास्तव में निजी थी तो वन विभाग ने उस पर दशकों तक भवन क्यों बनाए रखे? और यदि भूमि शासकीय थी तो फिर राजस्व रिकॉर्ड में उसका स्वरूप बदलने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? यही सवाल अब पूरे मामले की जांच का केंद्र बनते जा रहे हैं।

स्टे आदेश के बावजूद गतिविधियां कैसे चलती रहीं?

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू स्टे आदेश को लेकर है, जानकारी के अनुसार विवादित भूमि पर एसडीएम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था, किसी भी भूमि विवाद में स्टे आदेश का अर्थ होता है कि संबंधित भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसे में अब कई गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं क्या स्टे प्रभावी रहते हुए जमीन की रजिस्ट्री हुई? क्या स्टे के दौरान निर्माण कार्य कराया गया? क्या स्टे हटाया गया था? यदि हटाया गया तो उसका आदेश कहां है? आदेश किस अधिकारी ने जारी किया? क्या वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी? यदि स्टे प्रभावी था और फिर भी भूमि का हस्तांतरण या निर्माण हुआ, तो यह सीधे-सीधे न्यायालयीन आदेशों के पालन से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।

एसडीएम की भूमिका भी सवालों के घेरे में...

स्थानीय स्तर पर अब सबसे अधिक चर्चा एसडीएम की भूमिका को लेकर हो रही है, लोगों का कहना है कि जब किसी भूमि विवाद में स्वयं एसडीएम न्यायालय ने स्टे लगाया था तो उसके पालन की जिम्मेदारी भी प्रशासन की थी, यदि बाद में उसी भूमि पर कथित रूप से बिक्री, कब्जा और निर्माण हुआ तो यह जानना आवश्यक है कि क्या स्टे आदेश का पालन कराया गया? क्या संबंधित विभागों को आदेश की जानकारी दी गई? क्या किसी स्तर पर आदेश को निष्प्रभावी माना गया? क्या स्टे हटाने का कोई वैधानिक आदेश मौजूद है? इन्हीं कारणों से अब मामले की जांच केवल भूमि विवाद तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तक पहुंच गई है।

राजस्व विभाग की भूमिका पर भी उठे सवाल...

इस पूरे प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, यदि वन विभाग के कब्जे वाली भूमि का रिकॉर्ड बदला गया, तो यह कार्य किस प्रक्रिया के तहत हुआ? क्या नामांतरण वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया? क्या रिकॉर्ड संशोधन के दौरान वन विभाग से कोई आपत्ति नहीं ली गई? क्या राजस्व अधिकारियों ने मौके की स्थिति का परीक्षण किया था? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी विभाग के उपयोग वाली भूमि का रिकॉर्ड बदला गया है तो केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की भूमिका की जांच आवश्यक है।

सात सवाल जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा

1. विवादित भूमि पर स्टे कब और किस आदेश से लगाया गया?
2. स्टे प्रभावी रहते जमीन की बिक्री कैसे हुई?
3. स्टे हटाया गया था तो उसका आदेश कहां है?
4. राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किस अधिकारी के निर्देश पर हुआ?
5. फॉरेस्ट रेंजर बंगला और छह स्टाफ क्वार्टर गायब होने की जिम्मेदारी किसकी है?
6. वन विभाग की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
7. पूरे प्रकरण में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही?

पंजीयन विभाग पर भी सवाल...

भूमि के कथित सौदे और रजिस्ट्री को लेकर अब पंजीयन विभाग की भूमिका भी चर्चा में है,यदि भूमि विवादित थी और उस पर स्टे प्रभावी था तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? क्या पंजीयन विभाग ने भूमि की वास्तविक स्थिति की जांच की? क्या विवाद और न्यायालयीन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी? इन सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है।

50 लाख रुपये से अधिक के सौदे की चर्चा ने बढ़ाई गंभीरता

मामले में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि विवादित भूमि का 50 लाख रुपये से अधिक में सौदा किया गया,यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो जांच का दायरा और बढ़ जाएगा,क्योंकि तब यह केवल भूमि रिकॉर्ड की त्रुटि का मामला नहीं रह जाएगा बल्कि सरकारी संपत्ति के संभावित हस्तांतरण और उससे जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच करनी पड़ेगी।

वन विभाग करता रहा शिकायत,कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

दस्तावेज बताते हैं कि वन विभाग ने कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी,वनमंडलाधिकारी द्वारा एसडीएम,पुलिस और अन्य अधिकारियों को शिकायतें भेजी गईं। इसके बावजूद मौके पर निर्माण गतिविधियों और कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आती रहीं, यही कारण है कि अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति पर सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप होता तो तत्काल कार्रवाई होती, लेकिन इस मामले में वर्षों से केवल पत्राचार और जांच की बातें ही सामने आती रही हैं।

निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है...

भट्ठीपारा वन भूमि प्रकरण अब केवल जमीन का विवाद नहीं रह गया है,यह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा,राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता, न्यायालयीन आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है,विशेष रूप से यह तथ्य कि विवादित भूमि पर स्टे आदेश स्वयं एसडीएम न्यायालय द्वारा लगाया गया था,पूरे मामले को और संवेदनशील बना देता है। अब जनता की निगाहें जिला प्रशासन और शासन पर टिकी हैं कि क्या पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच कर वास्तविक जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी या फिर 75 वर्षों पुरानी सरकारी भूमि का यह रहस्य भी फाइलों और जांचों के बीच दबकर रह जाएगा।

सुबह 10 बजे खुलना चाहिए कार्यालय...लेकिन 12:30 बजे तक गायब रहते हैं अधिकारी-कर्मचारी!

खड़गवां में शासन के आदेश की उड़ रहीं धज्जियां,ग्रामीण यांत्रिकी विभाग का कार्यालय चपरासी के भरोसे,जनता भटक रही,जिम्मेदार नदारद,समयपालन और जवाबदेही पर उठा सवाल

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,22 जून 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में समयबद्ध कार्य संस्कृति और आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 10 बजे सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों के कार्य समय पर हो सकें,लेकिन खड़गवां मुख्यालय स्थित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग के कार्यालय की स्थिति इन निर्देशों के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है, स्थानीय स्तर पर की गई पड़ताल में सामने आया कि दोपहर 12:30 बजे तक कार्यालय में न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था और न ही अधिकांश कर्मचारी,पूरे कार्यालय का संचालन केवल चपरासी के भरोसे चलता दिखाई दिया, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं हैं तो जनता के कार्य कैसे हो रहे होंगे?

शासन के आदेश कागजों तक सीमित, जमीनी हकीकत कुछ और...

राज्य शासन ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि कार्यालय समय का कड़ाई से पालन किया जाए और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो, लेकिन खड़गवां स्थित ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यालय में यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई दी, कार्यालय समय शुरू होने के ढाई घंटे बाद तक भी अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोगों को यह जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि अधिकारी कब आएंगे और उनके कार्य कब होंगे।

चपरासी के भरोसे चल रहा कार्यालय

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में केवल चपरासी की मौजूदगी दिखाई दी,आमतौर पर किसी भी कार्यालय में चपरासी की भूमिका सहयोगात्मक होती है, लेकिन यहां पूरा कार्यालय उसी के भरोसे चलता नजर आया, कार्यालय में आने वाले लोगों को वही जानकारी दे रहा था और अधिकारियों की अनुपस्थिति के संबंध में पूछे जाने पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था, इससे यह प्रतीत होता है कि विभाग में प्रशासनिक अनुशासन और निगरानी की स्थिति बेहद कमजोर है।

यह एक दिन की नहीं... लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था?

स्थानीय नागरिकों और विभागीय गतिविधियों से जुड़े लोगों का कहना है कि यह स्थिति कोई नई नहीं है,आरोप है कि विभाग में लंबे समय से अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है,लोगों का कहना है कि कई बार कार्यालय खुला रहता है,लेकिन अधिकारी मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होते। इससे आम लोगों के साथ-साथ विभागीय कार्य भी प्रभावित होते हैं,यदि यह आरोप सही हैं तो यह केवल समयपालन का मामला नहीं,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी गंभीर प्रश्न है।

अधिकारी समय पर नहीं,तो कर्मचारियों से अनुशासन की उम्मीद कैसे?

क्षेत्रवासियों का कहना है कि किसी भी कार्यालय में अनुशासन की शुरुआत शीर्ष स्तर से होती है, यदि विभाग के अधिकारी स्वयं समय पर उपस्थित नहीं होते तो अधीनस्थ कर्मचारियों से अनुशासन और समयपालन की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है,स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग में कार्य संस्कृति प्रभावित हो चुकी है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है,शासन द्वारा निर्धारित नियम यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर ही लागू नहीं हो रहे हैं तो फिर नियमों का औचित्य क्या रह जाता है?

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान

ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से जुड़े अधिकांश कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं,ऐसे में दूर-दराज के गांवों से लोग अपनी समस्याओं और आवश्यक कार्यों को लेकर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन जब कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं मिलते तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है,कई लोग परिवहन और समय खर्च करके कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों की लापरवाही का सबसे अधिक नुकसान गरीब और ग्रामीण वर्ग को उठाना पड़ता है।

कलेक्टर से कार्रवाई की मांग...

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है, उनका कहना है कि सभी शासकीय कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण होना चाहिए, नागरिकों का कहना है कि यदि समयपालन और जवाबदेही तय नहीं की गई तो शासन की मंशा और जनता की उम्मीदों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, लोगों ने मांग की है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए ताकि शासकीय कार्यालयों में अनुशासन और कार्य संस्कृति स्थापित हो सके।

सवाल सिर्फ एक कार्यालय का नहीं, व्यवस्था का है...

खड़गवां के ग्रामीण यांत्रिकी विभाग का यह मामला केवल एक कार्यालय तक सीमित नहीं माना जा रहा,यह उस व्यापक समस्या की ओर भी संकेत करता है जहां कई बार शासकीय कार्यालयों में समयपालन और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं,अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मामले को किस गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिससे जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें और शासन के आदेशों का पालन धरातल पर दिखाई दे।

कई सवालों के जवाब तलाश रही जनता

इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं...

- सुबह 10 बजे खुलने वाले कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी क्यों नहीं पहुंचे?
- क्या शासन द्वारा जारी समयपालन संबंधी आदेश इस विभाग पर लागू नहीं होते?
- कार्यालय में उपस्थिति की निगरानी कौन कर रहा है?
- जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है या नहीं?
- आम जनता को हो रही परेशानी के लिए जवाबदेह कौन है?
- क्या विभागीय स्तर पर कभी औचक निरीक्षण किया जाता है?
- क्या जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा?

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत, 22 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के नौगई गांव में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, घटना के बाद पुलिस जांच अपने स्तर पर चल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया भी चर्चा में रही, लेकिन अब इस मामले में एक नया और चिंताजनक पहलू सामने आ रहा है, कुछ लोग और कुछ सामाजिक समूह इस घटना को इस आधार पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से एक व्यक्ति कथित रूप से दबंग, रंगदार,विवादित या आपराधिक प्रवृत्ति का था,इसी तर्क के आधार पर आरोपियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप उसकी हत्या को उचित ठहरा सकते हैं? क्या किसी समाज को इस बात पर गौरव महसूस करना चाहिए कि उसके समाज के लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया? सामाजिक,नैतिक और न्यायिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट है। यदि कोई अपराधी था तो कानून था,हत्या नहीं-भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देती, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत थी,वह लोगों को परेशान करता था,जमीनों पर कब्जा करता था,दबाव बनाता था या उसके खिलाफ अन्य आरोप थे, तो उसके लिए पुलिस, प्रशासन और न्यायालय मौजूद हैं, कानून यह नहीं कहता कि किसी व्यक्ति के कथित अपराधों का फैसला समाज या किसी समाज का एक परिवार स्वयं कर ले और उसे सजा दे दे,यदि ऐसा होने लगे तो फिर न्यायालय,पुलिस और प्रशासन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, यही कारण है कि भारत में न्याय का अधिकार केवल न्यायपालिका को दिया गया है,किसी समाज, जाति या समूह को नहीं,आज यदि कोई यह तर्क देता है कि मृतकों में से एक व्यक्ति विवादित था, इसलिए उसके साथ जो हुआ वह उचित था,तो यह तर्क न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी विरुद्ध है।

मौत के बाद आरोप लगाना कितना उचित?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो आरोप आज मृतकों पर लगाए जा रहे हैं, वे आरोप पहले क्यों नहीं सामने आए? यदि वास्तव में मृतक लोगों को परेशान करता था, जमीनों पर कब्जा करता था या समाज के लिए खतरा था, तो उसके जीवित रहते हुए प्रशासन को शिकायत क्यों नहीं दी गई? यदि शिकायत दी गई थी तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल खड़े कर उसे अपराधी साबित करने का प्रयास अक्सर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की रणनीति माना जाता है, अदालतें भी किसी हत्या के मामले में यह नहीं देखतीं कि मृतक लोकप्रिय था या अलोकप्रिय, बल्कि यह देखती हैं कि उसकी हत्या कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, किसी मृत व्यक्ति पर बाद में लगाए गए आरोप हत्या के अपराध को कम नहीं करते।

समाज का समर्थन किसके लिए होना चाहिए?

समाज का अपने लोगों के लिए खड़ा होना स्वाभाविक और आवश्यक भी है,लेकिन प्रश्न यह है कि समाज किसके लिए और किस आधार पर खड़ा हो रहा है? यदि कोई गरीब, कमजोर, पीड़ित या निर्दोष व्यक्ति अन्याय का शिकार हो रहा हो, तो समाज का उसके समर्थन में खड़ा होना सामाजिक जिम्मेदारी माना जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध का आरोपी है और केवल इसलिए उसका समर्थन किया जाए क्योंकि वह किसी विशेष जाति या समाज से संबंधित है, तो यह सामाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत माना जाएगा, समाज की जिम्मेदारी अपने लोगों को कानून का पालन करना सिखाने की भी होती है, न कि अपराध के बाद उनके पक्ष में माहौल बनाने की।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जातीय और सामाजिक संगठन अपनी भूमिका निभाते हैं, वे सामाजिक उत्थान, शिक्षा, सहायता और समाज सुधार के लिए काम करते हैं, लेकिन जब कोई संगठन या समूह किसी गंभीर आपराधिक मामले में केवल जातीय आधार पर पक्ष लेने लगता है, तब वह अनजाने में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता दिखाई देता है, नौगई हत्याकांड में भी यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या आरोपियों के प्रति सहानुभूति उनकी सामाजिक पहचान के कारण दिखाई जा रही है? यदि ऐसा है तो यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाएगा, अपराधी का मूल्यांकन उसके कर्मों से होना चाहिए, उसकी जाति या समाज से नहीं।

यदि यही तर्क हर समाज अपनाने लगे तो क्या होगा ?

कल्पना कीजिए कि हर समाज यह मान ले कि यदि किसी व्यक्ति से उसे शिकायत है तो वह स्वयं उसे सजा दे सकता है,ऐसी स्थिति में देश अराजकता की ओर बढ़ जाएगा,हर विवाद का समाधान हिंसा से होने लगेगा और कानून का शासन समाप्त हो जाएगा, यही कारण है कि भारतीय दंड संहिता और न्यायिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की भीड़तंत्र या निजी प्रतिशोध की भावना को अपराध मानती है, न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह आरोपी और पीड़ित दोनों को सुनती है और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है।

दोहरे मापदंडों पर भी सवाल...

इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल उठ रहा है,जब देश के अन्य हिस्सों में किसी समाज विशेष के व्यक्ति के साथ अन्याय होता है,तब अक्सर वही समाज उतनी मुखरता से सामने नहीं आता जितनी सक्रियता से अपने समाज के आरोपियों के समर्थन में दिखाई देता है,यदि समाज वास्तव में न्यायप्रिय है तो उसे हर पीड़ित के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो,न्याय की मांग व्यक्ति की सामाजिक पहचान देखकर नहीं की जानी चाहिए।

न्याय का आधार भावनाएं नहीं,तथ्य होते हैं...

नौगई तिहरे हत्याकांड में अंतिम निर्णय अदालत को करना है,पुलिस जांच,साक्ष्य,गवाह और न्यायिक प्रक्रिया ही यह तय करेगी कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन,लेकिन समाज को यह समझना होगा कि किसी मृतक के खिलाफ बाद में आरोप लगाकर हत्या को उचित ठहराने का प्रयास न तो कानूनी रूप से सही है और न ही नैतिक रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपराधी था तो उसे सजा देने का अधिकार केवल कानून को था,यदि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसका मूल्यांकन भी कानून के अनुसार ही होगा।

नौगई कांड में असली परीक्षा बाकी...

नौगई तिहरे हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं है,बल्कि यह समाज के सामने खड़ा एक नैतिक और न्यायिक प्रश्न भी है, सवाल यह नहीं है कि मृतक कैसा था, सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को मार देने का अधिकार किसी समाज,परिवार या समूह को दिया जा सकता है,लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है...नहीं...समाज को न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, किसी आरोपी के पक्ष में नहीं,क्योंकि जिस दिन समाज अपराध और अपराधी के बीच की रेखा को जाति,रसूख और पहचान के आधार पर तय करने लगेगा,उस दिन न्याय व्यवस्था की बुनियाद कमजोर होने लगेगी,नौगई कांड में भी असली परीक्षा यही है कि समाज न्याय का साथ देता है या फिर जातीय भावनाओं के नाम पर अपराध के प्रति सहानुभूति का माहौल तैयार करता है।

नौगई कांड के बीच नया विवाद: भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने मनोज त्रिपाठी पर सरकारी भूमि व सड़क पर अतिक्रमण का लगाया आरोप...

एसडीएम से बुलडोजर कार्रवाई की मांग...शिकायत में सड़क संकरी होने को बताया हादसे का कारण

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/सोनहत, 22 जून 2026 (घटती-घटना)।

नौगई तिहरे हत्याकांड के बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सरगुजा संभाग सह-प्रभारी की ओर से अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) सोनहत को शिकायत पत्र सौंपकर मनोज त्रिपाठी पर शासकीय भूमि एवं सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है, शिकायत में संबंधित अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। 22 जून 2026 को दिए गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम नौगई में त्रिपाठी परिवार द्वारा खसरा नंबर 271/1, 271/2, 270, 398/5 एवं 400 से संबंधित क्षेत्र में निजी भूमि से अतिरिक्त सड़क की भूमि पर निर्माण किया गया है,शिकायतकर्ता का दावा है कि इस निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और मार्ग संकरा हो गया है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सड़क पर कथित अतिक्रमण नहीं हुआ होता तो सड़क पर्याप्त चौड़ी रहती और घटना के दौरान वाहनों के आवागमन में सुविधा होती। पत्र में इस तथ्य को भी घटना से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

बिना अनुमति निर्माण का आरोप

शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्थल पर कुल पांच पक्के एवं एक कच्चे निर्माण किए गए हैं, शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए न तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई और न ही ग्राम पंचायत से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई,साथ ही भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं होने का दावा किया गया है।

कटगोड़ी स्थित मेडिकल स्टोर और मकान पर भी सवाल

शिकायत में मनोज त्रिपाठी को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए ग्राम कटगोड़ी स्थित उनके मेडिकल स्टोर और मकान का भी उल्लेख किया गया है, आरोप लगाया गया है कि खसरा नंबर 1218/4 की भूमि का क्षेत्रफल सीमित होने के बावजूद समीपस्थ शासकीय भूमि खसरा नंबर 1217 पर अतिक्रमण कर दुकान एवं मकान का निर्माण किया गया है,शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि संबंधित निर्माण के लिए न तो भूमि का विधिवत डायवर्सन कराया गया और न ही निर्माण पूर्व आवश्यक लिखित अनुमति प्राप्त की गई।

प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति

हालांकि शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है,संबंधित पक्ष का बयान भी सामने नहीं आया है,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्व विभाग एवं प्रशासन शिकायत की जांच में क्या तथ्य पाते हैं और क्या वास्तव में शासकीय भूमि या सड़क पर अतिक्रमण हुआ है,फिलहाल शिकायत पत्र ने नौगई प्रकरण के बीच एक नया प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है,यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राजस्व नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है,वहीं आरोप निराधार पाए जाने पर शिकायत की मंशा पर भी सवाल उठ सकते हैं।

शाह रुख खान के सीनियर का खुलासा, एनएसडी में समोसे सप्लाई करते थे किंग खान

नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ड्रामा के दौरान शाह रुख खान से जुड़ा एक रोचक किस्सा सामने आ रहा है। सुपरस्टार शाह रुख खान और नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनसीडी को लेकर कई सारे रोचक किस्से सिनेमा जगत में चर्चित हैं। लेकिन किंग खान से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा अब उनके एनसीडी सीनियर ने सुनाया है और बताया है कि शाह रुख उन्हें समोसा सप्लाई करते थे। पूरा मामला क्या है और वह कौन सा कलाकार है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दौर में शाह रुख का सीनियर हुआ करता था।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का किस्सा

दरअसल जिस वेटरन एक्टर के बारे में इस लेख में बात की जा रही है,वह कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर हैं। हाल ही में पंकज ने किंडल कास्ट के यूट्यूब चैनल पर अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ हुई मुलाकात के बारे में बात खुलकर बात की और एनएसडी से ग्रेजुएट हुए 50 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के बारे में बताया। इस दौरान पंकज कपूर ने शाह रुख खान से जुड़ा हुआ किस्सा साझा किया और कहा- लंच के खान का मजा लेने के लिए हमने दोस्तों के साथ एक टीम बनाई। वे हमारी तरफ नान फेंकते, हम उन्हें पकड़ लेते और इंटरवल के दौरान हम समोसे खरीदते। सब कुछ बैकस्टेज ले जाते और साथ में नान, समोसा और चाय का मजा लेते। लेकिन आपको ये जानकारी हैरानी होगी हमें समोसे सप्लाई करने वाला शख्स शाह रुख खान ही थे। उस वक्त शाह रुख की उम्र महज 10 साल थी और वह अपने पिता के कैंटीन से हमें समोसे लाकर देते थे। उनके पिता का कैंटीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर ही था, जो हम सबके खाने का सबसे बड़ा था। इस तरह से पंकज कपूर ने शाह रुख खान को लेकर एक पुराना किस्सा याद किया है। बता दें कि शाह रुख और पंकज 90 के दशक की कल्ट क्लासिक फिल्म राम जाने में एक साथ काम कर चुके हैं।

इस मूवी में नजर आएंगे शाह रुख खान

गौर किया जाए शाह रुख खान की आने वाली फिल्म की तरफ तो उसका नाम किंग है। हिंदी सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखी जा रही है। बता दें कि 24 दिसंबर 2026 को एक्शन थ्रिलर किंग को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

22 साल बाद अक्षय के साथ फिल्म करने के लिए कैसे मानीं रवीना? डायरेक्टर अहमद खान ने किया खुलासा

22 साल बाद वेलकम टू द जंगल में साथ नजर आएंगे। डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि जब एक्ट्रेस को पता चला कि अक्षय इस कॉमेडी फिल्म में काम कर रहे हैं,तो उनका रिएक्शन कैसा था।

1990 के दशक में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी पर्दे पर काफी सफल रही थी। इन दोनों के बीच डेटिंग की खबरें भी थीं और इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया। उस समय मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि अलग होने से पहले दोनों ने कुछ समय के लिए गुपचुप तरीके से सगाई भी कर ली थी।

22 साल बाद स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे दोनों

अब लगभग 22 साल बाद, अक्षय कुमार और रवीना टंडन आखिरकार अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में साथ आ रहे हैं। वे वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि जब रवीना को पता चला कि अक्षय भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं,तो उनका रिएक्शन कैसा था।

अहमद ने बताया कि अक्षय और रवीना के साथ उनकी दशकों पुरानी दोस्ती की वजह से ही वे दोनों वेलकम टू द जंगल के लिए साथ आ पाए। फिल्ममेकर ने आगे कहा कि वे एक-दूसरे को तीन दशकों से ज्यादा समय से जानते हैं और उन्हें पता है कि एक-दूसरे की जिंदगी में क्या-क्या हुआ है।

अहमद खान ने बताया रवीना का रिएक्शन

जब अहमद से पूछा गया कि क्या मोहरा के एक्टर्स को एक फिल्म के लिए वापस लाना मुश्किल था, तो डायरेक्टर ने खुशी-खुशी इसे फैन्स के लिए एक तोहफे की तरह लिया। उनका मानना है कि लोग रवीना और अक्षय को साथ देखना चाहते हैं,तो क्यों न फैन्स के लिए ऐसा किया जाए? डायरेक्टर ने यह भी बताया कि जब रवीना को पता चला कि अक्षय इस कॉमेडी-फिल्म में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अहमद ने बताया, उन्होंने कहा, तो क्या हुआ? हम सब एक्टर्स हैं और समझदार हैं। हम सब दोस्त हैं और सेट पर बहुत मजा करेंगे।

सुनील शेट्टी भी हुए इमोशनल

वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर ने वेलकम फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म में अक्षय और रवीना के डांस सीक्वेंस के बारे में भी बात की। इसे प्रिंस गुप्ता और राहुल शेट्टी ने कोरियोग्राफ किया है। अहमद ने बताया कि पूरे सेट पर लोगों ने तालियां बजाईं, जबकि सुनील शेट्टी ने कहा, अरे, मेरी मोहरा वाली जोड़ी आ गई। सुनील भी 1994 की उस फिल्म का हिस्सा थे। अक्षय की शादी ट्विंकल खन्ना से 25 साल पहले हुई थी। उनके दो बच्चे हैं - बेटा आरव और बेटी नितारा। वहीं, रवीना ने 2004 में अनिल थडानी से शादी की थी और उनके बच्चे राशा थडानी और रणबीरवर्धन थडानी हैं। दोनों ने पिछली बार 2004 में रिलीज हुई फिल्म पुलिस फोर्स- एन इनसाइड स्टोरी में काम किया था। वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सैड सॉन्ग को सुनकर खूब रोते थे सलमान खान

ब्रेकअप के बाद दिल में जल रही थी विरह की आग!

सलमान खान एक सैड सॉन्ग को सुनकर बार-बार रोया करते थे। यह गाना दो दशकों से सदाबहार बना हुआ है। पहले के समय में जब कोई गाने बनते थे,तब उसके पीछे कोई न कोई कहानी होती थी। सलमान खान के भी सबसे हिट सॉन्ग्स में से एक के पीछे भी एक कहानी थी और वह कहानी ब्रेकअप की थी। सलमान खान ने रोमांटिक और पार्टी सॉन्ग्स के साथ-साथ कई सैड सॉन्ग्स भी दिए हैं जिनमें से एक उनके हाल-ए-दिल बयां करता है। इस गाने के एक-एक बोल से वह कनेक्शन महसूस करते थे, क्योंकि जब यह गाना बना,तब वह ब्रेकअप के दर्द से जूझ रहे थे। यह हम नहीं,बल्कि यह गीत लिखने वाले गीतकार ने एक इंटरव्यू में बताया था।

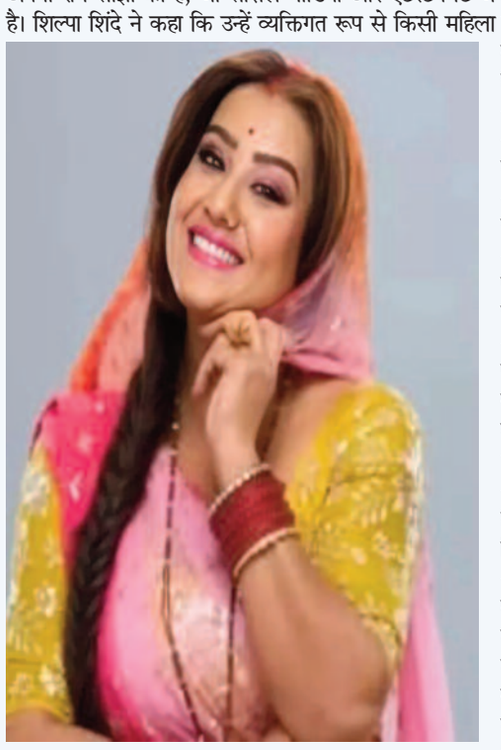

23 साल पुराना कल्ट सॉन्ग

जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो सुपरहिट फिल्म तेरे नाम का टाइटल ट्रैक तेरे नाम हमने किया है है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया थे और आवाज उदित नारायण व अलका याग्निक ने दी थी। यह एक चार्टबस्टर सॉन्ग है जो पिछले 23 साल से कल्ट है। यह गाना टूटे दिल के हाल को बयां करता है और उस वक्त सलमान रियल लाइफ में भी इसी फेज से गुजर रहे थे।

सलमान के टूटे दिल पर बेस्ड है सॉन्ग

इस बारे में गीतकार समीर अंजान ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खुलासा किया था। जब समीर अंजान से पूछा कि तेरे नाम का टाइटल ट्रैक क्या सोच कर लिखा गया था।

तब समीर अंजान ने कहा था, टाइटल ट्रैक उनको (सलमान) ध्यान में रखकर नहीं लिखवाया गया था। वो लिखवाया गया था वो जो असली कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से। उस गाने को हिमेश को बुला के वो शॉट देने के पहले गाते थे और रोते थे। अब ये गाना सुना- क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। उनको लगा कि यह गाना वहां तक पहुंचना चाहिए। यह मेरा दर्द है।

बता दें कि हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय कथित तौर पर एक-दूसरे को डेट करते थे। हालांकि, 2002 में उनका ब्रेकअप हो गया था। ऐश्वर्या आज अभिषेक बच्चन के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं,जबकि सलमान अभी भी कुंवारे हैं।

महिलाओं की आज़ादी पर शिल्पा शिंदे का बयान वायरल

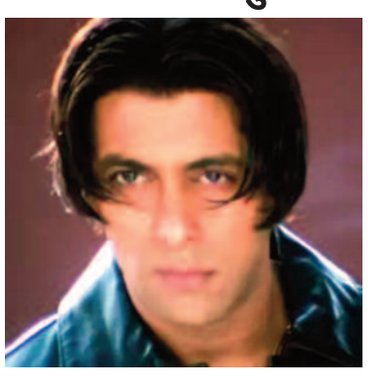

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने रियल फेमिनिज्म, मॉडर्न लाइफस्टाइल और महिलाओं की सोच को लेकर अपनी राय साझा की है, जो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में चर्चा का विषय बन गया है। शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी महिला का स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी महिला को उसकी आदतों या लाइफस्टाइल के आधार पर जज किया जाए। उनके अनुसार, हर महिला को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए, और समाज को उनके व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान करना चाहिए।

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि फेमिनिज्म का असली मतलब केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह सोच की आज़ादी से भी जुड़ा है। उनके अनुसार, अगर कोई महिला साड़ी पहनती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मॉडर्न नहीं हो सकती, और इसी तरह किसी आधुनिक लाइफस्टाइल को अपनाने वाली महिला को भी परंपरा से दूर नहीं माना जाना चाहिए। फेमिनिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि समाज में अभी भी कई तरह की धारणाएं मौजूद हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। महिलाओं को उनके कपड़ों, आदतों या जीवनशैली के आधार पर परिभाषित करना सही नहीं है। शिल्पा शिंदे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर महिलाओं की लाइफस्टाइल और उनके चुनावों को लेकर लगातार बहस देखने को मिलती है। कई लोग उनके विचारों से सहमत नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पर अलग राय भी रख रहे हैं। मनोरंजन जगत में भी इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई फैंस का मानना है कि शिल्पा शिंदे ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। वहीं, कुछ लोग इसे व्यक्तिगत विचार बताकर अलग नजरिए से देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान समाज में महिलाओं को लेकर बनी पुरानी सोच को चुनौती देते हैं। आज के समय में महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में बढ़ रही है, ऐसे में उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को स्वीकार करना जरूरी है।

क्या आप जानते हैं इस गाने की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं?

साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली-6 का गाना 'ससुराल गेंदा फूल' आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इस गाने को रेखा भारद्वाज ने अपनी खास आवाज में गाया था, जिसने इसे एक अलग ही पहचान दिलाई। रिलीज के कई साल बाद भी यह गाना शादी-ब्याह और पारंपरिक समारोहों में खूब बजाया जाता है। यह गाना अपनी लोक शैली और पारंपरिक धुन के कारण खास माना जाता है। इसमें भारतीय लोक संगीत की झलक साफ दिखाई देती है, जो दर्शकों को अपनी संस्कृति से जोड़ती है। फिल्म में इस गाने को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसने भी इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया।

ससुराल गेंदा फूल' केवल एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन चुका है। शादी के माहौल में यह गाना माहौल को और भी खुशनुमा बना देता है। इसकी मधुर धुन और सरल शब्द आज भी लोगों के दिलों को छू लेते हैं। संगीत विशेषज्ञों का मानना है कि इस गाने की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका लोक संगीत से जुड़ा होना है। आधुनिक संगीत और पारंपरिक धुन का यह मिश्रण इसे हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। यही वजह है कि रिलीज के इतने साल बाद भी यह गाना ट्रेंड में बना हुआ है।

फिल्म दिल्ली-6 में इस गाने ने एक खास माहौल तैयार किया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। रेखा भारद्वाज की आवाज ने इस गीत को और भी प्रभावशाली बना दिया, जिसकी वजह से यह गाना आज भी लोगों की यादों में ताजा है। सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर भी यह गाना लगातार सुना जाता है। नई पीढ़ी भी इस गाने को पसंद कर रही है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती जा रही है। शादी समारोहों में डीजे प्लेलिस्ट का यह एक अहम हिस्सा बन चुका है।

खेल समाचार

60 साल में पहली बार हुआ ऐसा,फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने अमेरिका की धरती पर रचा इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने बेल्जियम को 0-0 से ड्रॉ पर रोककर ग्रूप-जी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है...ईरान की शुरुआती टीम 1966 के बाद से सबसे उम्रदराज टीम बनी...

नई दिल्ली,22 जून 2026। लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रूप-जी के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में ईरान ने इतिहास रच दिया है। रविवार को खेले गए इस मैच में ईरान ने अपने दमदार और जुझारू डिफेंस के दम पर यूरोप की सबसे मजबूत टीमों में से एक बेल्जियम को 0-0 की गोलरहित बराबरी पर रोक दिया। इस मैच में मैदान पर उतरते ही ईरान की स्टार्टिंग 11 ने वर्ल्ड कप इतिहास का एक अनोखा और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

ईरान ने तोड़ा 1966 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

बेल्जियम के खिलाफ मैदान पर उतरी ईरान की टीम वर्ल्ड कप इतिहास की अब तक की सबसे उम्रदराज टीम बन गई। इस मैच में ईरानी स्टार्टिंग इलेवन की औसत उम्र 32 वर्ष और 181 दिन थी। इस अनुभवी और सीनियर टीम ने अपने अनुभव का शानदार परिचय देते हुए पूरे मैच के दौरान बेल्जियम के लगातार हमलों और दबाव को नाकाम रखा।

व्हीएआर ने छीना ईरान का गोल, बेइरानवंद बने दीवार

मैच की शुरुआत से ही गेंद पर बेल्जियम का नियंत्रण रहा। शुरुआती मिनटों में ही मैक्सिम डी क्युपर ने एक लंबी दूरी से शानदार शॉट लगाया, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद ने उसे बेहतरीन तरीके से रोक दिया। पहले हाफ के बीच में ईरान ने बेल्जियम को उस समय हैरान कर दिया जब मेहदी तारेमी ने एक चालाकी से ली गई फ्री-किक पर गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। हालांकि, ईरान का यह जश्न ज्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने रिव्यू के बाद स्ट्राइकर तारेमी को मामूली अंतर से ऑफसाइड करार दे दिया और गोल रद्द हो गया। पूरे मैच में बेल्जियम ने गोल करने के लिए 23 शॉट लगाए, लेकिन गोलकीपर बेइरानवंद दीवार बनकर खड़े रहे।

66वें मिनट में बेल्जियम को लगा बड़ा झटका, मिला रेड कार्ड

मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 66वें मिनट में आया जब बेल्जियम की टीम 10 खिलाड़ियों पर सिमट गई। बेल्जियम की डिफेंसिव गलती का फायदा उठाकर मेहदी तारेमी सीधे गोल की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के चक्कर में बेल्जियम के नाथन नगोय को सीधा रेड कार्ड दिखा दिया गया। यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 8वां रेड कार्ड था। 10 खिलाड़ियों के खिलाफ होने के बाद ईरान ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई और बेंच से नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा। मैच के आखिरी पलों में ईरान ने गोल करने के कई मौके बनाए,लेकिन वे बेल्जियम के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे और मैच 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ।

आईसीसी ने महिला क्रिकेटरों के लिए नए रिटर्न-टू-प्ले नियम घोषित किए

दुबई,22 जून 2026। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को प्रेग्नेंसी के बाद खेलने के लिए अपनी गाइडलाइंस लॉन्च कीं। इसमें महिला क्रिकेटरों,मेंबर बोर्ड और मेडिकल स्टाफ को बच्चे के जन्म के बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट फिर से शुरू करने वाले खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया गया है। आईसीसी के बड़े 100त्न क्रिकेट इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर, इन गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की हेल्थ के बारे में बातचीत को नॉर्मल बनाना और यह पक्का करना है कि माँ बनना और प्रोफेशनल क्रिकेट को एक-दूसरे से अलग न समझा जाए। गाइडलाइंस में छह स्टेप वाला '6 क्र' पाथवे बताया गया है। रेडी, रिव्यू, रिस्टोर,रीकंडीशन,रिटर्न और रिफाइन। इन सभी में रिकवरी, मेडिकल रिव्यू, धीरे-धीरे ट्रेनिंग, क्रिकेट के लिए खास कंडीशनिंग, कॉम्पिटिशन में वापसी और आगे की मॉनिटरिंग शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब महिला क्रिकेटरों की संख्या बढ़ रही है जो अपने खेलने के करियर के दौरान परिवार शुरू करना चुन रही हैं और फिर सफलतापूर्वक अपने ऑन-फील्ड कमिटमेंट्स को फिर से शुरू कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की डॉक्टर डॉ. फिलिपा इंगे,जो आईसीसी मेडिकल एडवाइज़री कमेटी की मेंबर भी हैं, ने कहा, आईसीसी की प्रेग्नेंसी के बाद खेलने के लिए वापसी की गाइडलाइंस खिलाड़ियों को यह दिखाने के लिए बनाई गई हैं कि बच्चा होने का मतलब यह नहीं है कि उनका करियर खत्म हो गया है,और इस पॉलिसी से हमारा मकसद सदस्य देशों को अपने खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट में वापसी को आसान बनाना है। हम जानते हैं कि कई सदस्यों के पास पहले ये ज़रूरी नहीं थे,और मकसद उन्हें उन खास माहौल के हिसाब से बनाना है जिनमें हमारे सदस्यों को उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये गाइडलाइंस सदस्यों के लिए एक टेम्पलेट का काम करती हैं, और प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में लौटने वाली एथलीट के लिए मज़बूत सपोर्ट उनकी और उनके परिवार की खास ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। इन सुझावों में एक डेडिकेटेड केस मैनेजर-आम तौर पर एक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट-की नियुक्ति शामिल है, जो खिलाड़ी की प्रेग्नेंसी और उसके बाद मैदान पर वापसी के दौरान संपर्क का मुख्य पॉइंट होगा। केस मैनेजर सपोर्ट सर्विस को कोऑर्डिनेट करने,समय-समय पर होने वाले रिव्यू की देखरेख करने और यह पक्का करने के लिए जम्मिेदार होगा कि सभी फ़ैसले पूरी तरह से माँ और बच्चे दोनों की भलाई पर फ़ोकस रहें। आईसीसी डॉक्यूमेंट में सफ़र के ज़रूरी स्टेज पर रेगुलर प्लेयर मैनेजमेंट मीटिंग की भी वकालत की गई है। इनमें प्रेग्नेंसी की शुरुआती घोषणा,तीसरी तिमाही, बच्चे के जन्म के छह से आठ हफ्ते बाद,और चार हफ्ते के गैप पर जब खिलाड़ी क्रिकेट के माहौल में फिर से घुलना-मिलना शुरू करती है,शामिल हैं।

झारखंड टी 20 लीग में बड़ा उलटफेर,दो टीमें बाहर

धनबाद ,22 जून 2026। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड टी20 लीग 2026 में प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। लीग चरण के मुकाबलों के बाद कोयलांचल सुपर किंग्स, रांची टाइटंस,छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने अंतिम चार में जगह बना ली है। वहीं संथाल स्ट्राइकर्स और धनबाद डायमंड्स का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया। लीग चरण में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। टीम ने 8 मैचों में 6 जीत के साथ 13 अंक जुटाए और मजबूत नेट रन रेट के साथ टॉप पर रही। वहीं रांची टाइटंस ने 8 मैचों में 5 जीत दर्ज कर 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में जगह बनाई। तीसरे और चौथे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स दोनों के खाते में 8-8 अंक रहे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर रॉयल्स तीसरे और स्टीलर्स चौथे स्थान पर रहे। अब ये चारों टीमें खिताब की दौड़ में आमने-सामने होंगी।

मुख्यमंत्री ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का किया शुभारंभ

सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान,सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केन्द्र : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,22 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ।साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केन्द्र है। सोमनाथ मंदिर को अनेक बार आक्रांताओं ने तोड़ा,लेकिन हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, ये देशवासियों की अटूट आस्था का परिणाम है। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से छत्तीसगढ़ से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ।साय ने भगवान सोमनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ।साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली दिन है जब प्रदेश भर से 1000 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उन्होंने भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 75 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार इस यात्रा में अपने साथ अपने-अपने क्षेत्रों के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के शिवालयों की पावन माटी और पावन नदियों कें जल कलश लेकर रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ।राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित भारतवर्ष को समृद्धि, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करें। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक धरमलाल कौशिक, अनुज शर्मा, इंद्रकुमार साहू, ।डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, संपत अग्रवाल, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सु।मोना सेन सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

ड्रोन से पकड़ी गई अवैध माइनिंग

6 क्रशर सील और चैन माउंटेन मशीन जब्त

बलौदाबाजार,22 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 06 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर दिया गया और अवैध रेत उत्खनन में लगी एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की लूट को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का कड़ा इस्तेमाल कर रही है। ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों में अवैध उत्खनन से पर्यावरण और राजस्व को होने वाले नुकसान पर इससे लगाम लगेगी और वैध व्यवसायियों को सुरक्षा मिलेगी। खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद और संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने 21 और 22 जून 2026 को विभिन्न जिलों में औचक जांच अभियान चलाया। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जिला बलौदाबाजार के ग्राम खपरीडीह में चूनापत्थर खदानों और अस्थायी भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया गया, जहां भारी अनियमितताएं मिलने पर 6 क्रशर सील किए गए।

इसी तरह जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रही एक चैन माउंटेन मशीन को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मशीन को जब्त कर ऑपरेटर की सुपुर्दगी में सीलबंद किया गया है और मालिक को नोटिस जारी किया गया है। इस पूरी जांच प्रक्रिया की सबसे खास बात यह रही कि इसमें ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर सटीक आकलन किया गया। ग्राम खपरीडीह (बलौदाबाजार) में अनियमितताओं के कारण कुल 06 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

ग्राम दहिदा (सारंगढ़-बिलाईगढ़) के महानदी क्षेत्र से अवैध रेत खनन में प्रयुक्त 01 चैन माउंटेन मशीन को खनिज अधिनियम के तहत जब्त किया गया। खनिज सचिव ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। संबंधित क्रशर संचालकों और मशीन मालिकों के जवाब आने के बाद खनिज विभाग आगे की वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा।

धमतरी में भारी बवाल...अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे 52 गांवों के ग्रामीण

धमतरी,22 जून 2026। धमतरी में सोमवार का दिन भारी हंगामे वाला रहा। जिले के आदिवासी अंचलों के हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। शहर के शोभाराम देवांगन चौक पर सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। देखते ही देखते ये भीड़ एक बड़े आंदोलन में बदल गई। हाथ में बैनर-पोस्टर लिए ये ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े। प्रदर्शनकारी आदिवासियों का कहना है कि वे अब झूठे वादों से थक चुके हैं। सालों से सड़क, पानी, बिजली और अस्पताल जैसी जरूरी चीजों की मांग कर रहे हैं। मगर नतीजा सिफर ही रहा। ग्रामीणों के मुताबिक,उन्हें बस हर बार आश्वासन का टोकरा थमा दिया जाता है। काम के नाम पर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। इसी नाराजगी ने आज उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है।

पुलिस के इंतजाम नाकाफी : कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ते इन लोगों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की। पुलिस ने समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। हालात ऐसे बन गए कि भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। अनुमान है कि प्रदर्शन में 500 से 2000 के बीच ग्रामीण शामिल हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति बिगड़े नहीं।

आर-पार के मूड में प्रदर्शनकारी

आंदोलन कर रहे आदिवासियों ने दो टूक चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर इस बार उनकी समस्याओं का पक्का समाधान नहीं निकला,तो आंदोलन और उग्र होगा। वे कलेक्टर से सीधे मिलकर ज्ञापन सौंपने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक कोई ठोस भरोसा नहीं मिलेगा,वे यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। शहर में हलचल बनी हुई है और हर किसी की नजर इस प्रदर्शन के नतीजों पर टिकी है।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल....

17 डीओ और 6 एडीओ सहित 30 का ट्रांसफर

रायपुर,22 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आबकारी (एक्साइज) विभाग में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार, विभाग के कुल 30 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम विभागीय कामकाज को अधिक सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा फूंकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव से राज्य के विभिन्न जिलों में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है।

किन पदों पर हुआ फेरबदल और कौन-कौन से जिले प्रभावित

इस व्यापक स्थानांतरण सूची में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, एक असिस्टेंट कमिश्नर (आबकारी) का तबादला किया गया है, जो इस फेरबदल का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही, राज्य भर के कुल 17 जिला आबकारी अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों का असर रायपुर, दुर्ग,बिलासपुर, कोरबा,जांजगीर-चांपा,कबीरधाम, बलौदाबाजार, मोहला-मानपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत कई अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 6 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों (एडीओ), 5 आबकारी उप-निरीक्षकों और एक मुख्य लिपिक को भी नई जिम्मेदारियों के साथ नई जगह पर पदस्थ किया गया है।

प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामकाज में तेजी लाने का प्रयास : विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल केवल सामान्य स्थानांतरण नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनिवार्य माना गया था। विभागीय जरूरतों और बेहतर प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए शासन ने इन अधिकारियों को नई भूमिकाएं दी हैं। माना जा रहा है कि एक लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने वाले अधिकारियों के तबादले से काम में पारदर्शिता आएगी और जिलों में विभागीय कामकाज में तेजी आएगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार,आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे में इस तरह के बदलाव से राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अवैध शराब की रोकथाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों को तत्काल पदभार ग्रहण करने के दिए गए निर्देश

वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश के बाद अब संबंधित जिलों में हड़कंप और हलचल की स्थिति है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त होकर तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर रिपोर्ट करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। शासन का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह प्रशासनिक कसावट के मामले में किसी भी प्रकार की देरी के पक्ष में नहीं है। आगामी दिनों में इन नई नियुक्तियों के साथ विभाग अपनी नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी कर रहा है। आबकारी विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को राज्य सरकार की सुशासन की नीति और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो वायरल,ग्रामीणों की नाराजगी के बाद डीईओ ने दिए जांच के आदेश...

जांजगीर-चांपा,22 जून 2026। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड स्थित बोड़सरा गांव के एक स्कूल से शिक्षक और शिक्षिका का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में संबंधित शिक्षिक-शिक्षिका को ब्लैकमेल किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है।

क्या है वायरल वीडियो में...

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए वीडियो में कथित तौर पर एक शिक्षक और शिक्षिका स्कूल के क्लासरूम में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है।

ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग...

स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह के व्यवहार को लेकर स्थानीय अभिभावकों और सामाजिक संगठनों में गहरा रोष है। ग्राम बोड़सरा की सरपंच संगीता यादव का कहना है कि इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर शिक्षक-शिक्षिका पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासन ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई...

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीम गठित की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की विभागीय कार्रवाई होगी। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि वायरल वीडियो में नजर आ रही शिक्षिका ने जांजगीर एसपी से मामले में शिकायत की है और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

क्षेत्र जलता रहा,सत्ता रेल पकड़ती रही!

नौगई की आग पर चुप्पी,दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर बधाई,आखिर जनता किसे अपना प्रतिनिधि माने?

- नौगई न्याय का इंतजार करता रहा,राजनीति रेलवे बोर्ड का पत्र पढ़ती रही...
- क्षेत्र में मातम था...सोशल मीडिया पर सौगात थी...
- जनता संवेदना खोज रही थी...सत्ता ट्रेन की नई टाइमिंग बता रही थी...

रवि सिंह

कोरिया/भरतपुर-सोनहत,22 जून 2026 (घटती-घटना)। राजनीति में समय का बड़ा महत्व होता है, क्या बोलना है,कब बोलना है और किस मुद्दे पर बोलना है,यही किसी जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता और प्राथमिकता तय करता है,लेकिन कोरिया जिले के नौगई गांव में हुई तिहरी मौत की भयावह घटना के बाद भरतपुर-सोनहत विधानसभा की राजनीति में जो तस्वीर सामने आई,उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक तरफ पूरा जिला नौगई कांड की चर्चा में डूबा रहा,तीन लोगों की दर्दनाक मौत, प्रदेश भर में सुर्खियां,गांव में मातम, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बहस, विपक्ष के बयान, सत्ता पक्ष की प्रतिक्रियाएं, पुलिस जांच,आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और न्याय की मांग,दूसरी तरफ क्षेत्र की स्थानीय विधायक की ओर से पांच दिनों तक ऐसी खामोशी रही मानो उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ हुआ ही न हो,लोग इंतजार करते रहे कि शायद आज कोई बयान आएगा,शायद आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात होगी,शायद आज कोई संवेदना व्यक्त की जाएगी, लेकिन पांच दिन बीत गए और राजनीतिक कैलेंडर में नौगई का नाम तक दर्ज नहीं हुआ,फिर अचानक 22 जून की शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाई देती है, जनता को लगा कि शायद अब नौगई की बात होगी,शायद न्याय की बात होगी,शायद पीड़ित परिवारों का जिक्र होगा। लेकिन पोस्ट खुली तो उसमें नौगई नहीं थी,उसमें थी दिल्ली जाने वाली ट्रेन,पोस्ट में लिखा था कि क्षेत्रवासियों के लिए सौगात मिली है और अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस की आवृत्ति साप्ताहिक से बढ़ाकर द्वि-साप्ताहिक कर दी गई है, निश्चित रूप से यह क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है,रेल सुविधा बढ़ना स्वागत योग्य है, लेकिन जनता के मन में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस समय यही सबसे जरूरी सूचना थी?

गांव में चिता की राख ठंडी नहीं हुई थी,राजनीति रेलवे टाइम टेबल पढ़ रही थी-नौगई में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनके घरों में अभी भी मातम पसरा हुआ है,गांव में लोग आज भी घटना की चर्चा कर रहे हैं,पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं,पूरा जिला घटना को लेकर संवेदनशील बना हुआ है,ऐसे समय में जनता यह उम्मीद करती है कि उसका जनप्रतिनिधि कम से कम एक संवेदना संदेश तो जारी करे। यदि किसी कारणवश मौके पर नहीं पहुंच पाया तो पीड़ित परिवारों के प्रति दुख व्यक्त करे। लेकिन यहां तो स्थिति उलटी दिखाई दी,घटना के पांच दिन बाद जो पहली प्रमुख सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिखाई दी,उसमें न पीड़ित थे,न न्याय था, न संवेदना थी,न घटना का उल्लेख था। वहां केवल रेल सुविधा थी,ऐसा लगा जैसे जनता शोक में है और राजनीति रेलवे बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रही है।

क्या नौगई विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता?

यह सवाल अब खुले तौर पर पूछा जाने लगा है,क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कोई विधायक करता है, वहां घटित बड़ी घटनाओं पर उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से अपेक्षित मानी जाती है, यदि किसी क्षेत्र में सड़क बनती है तो श्रेय लिया जाता है, यदि कोई ट्रेन बढ़ती है तो पोस्ट की जाती है, यदि कोई योजना स्वीकृत होती है तो बधाई संदेश जारी होता है,तो फिर जब उसी क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हो जाए तो संवेदना व्यक्त करने में संकोच क्यों? क्या दुख के समय जनता प्रतिनिधि की नहीं होती और विकास के समय जनता प्रतिनिधि की हो जाती है?

संवेदना भी राजनीतिक दायित्व होती है...

लोकतंत्र केवल विकास कार्यों का नाम नहीं है,लोकतंत्र जनता के सुख-दुःख में सहभागी बनने का भी नाम है,कई बार एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक फोन कॉल या एक मुलाकात भी पीड़ित परिवार को यह भरोसा देती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा है,लेकिन जब ऐसी बड़ी घटना पर लगातार चुप्पी बनी रहे तो सवाल उठना स्वाभाविक है,जनता यह जानना चाहती है कि क्या उनके प्रतिनिधि के लिए रेलगाड़ी की अतिरिक्त फेरी तीन मौतों से अधिक महत्वपूर्ण विषय थी?

जनता को सौगात चाहिए,लेकिन संवेदना भी चाहिए...

रेलवे सुविधा बढ़ना विकास है, नई ट्रेन चलना विकास है,यात्रियों को सुविधा मिलना विकास है, लेकिन विकास और संवेदना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, जनता को रेल भी चाहिए और प्रतिनिधि का साथ भी चाहिए, उसे सड़क भी चाहिए और दुख में सहारा भी चाहिए,उसे योजनाएं भी चाहिए और न्याय की आवाज भी चाहिए,नौगई कांड के बाद लोगों को शायद यही उम्मीद थी कि उनका जनप्रतिनिधि पहले उनके घावों पर मरहम लगाएगा और फिर विकास की बातें करेगा।

राजनीति का सबसे कठिन प्रश्न...नौगई कांड ने केवल कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए हैं,

बल्कि राजनीति की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं,क्योंकि इतिहास में जनता यह नहीं याद रखती कि कौन सी ट्रेन सप्ताह में एक दिन और बढ़ी थी,लेकिन यह जरूर याद रखती है कि संकट की घड़ी में कौन उनके साथ खड़ा था और कौन नहीं, आज भरतपुर-सोनहत की जनता के बीच शायद यही चर्चा है जब हमारा गांव जल रहा था, तब हमारी नेता कहां थीं? और यह सवाल किसी विपक्षी दल का नहीं,बल्कि उस जनता का है जिसने प्रतिनिधित्व का अधिकार सौंपा था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)